रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 03 मई, 2025 ई० (वैशाख 13, 1947 शक संवत्) [संख्या 18

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	209–216	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	417–436	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	651–692	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

विज्ञप्ति

प्रोन्नत / नियुक्ति

13 जून, 2024 ई0

सं0 1774(अधिष्ठान)वि0प0-47 / 20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश संख्या-1139 / अधि0,वि0प0-20 / 12, दिनांक 19 अप्रैल, 2024 के द्वारा संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये उपसचिव के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत श्री धनंजय सिंह, अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 1775(अधिष्ठान)वि0प0-47 / 20—श्री राकेश मिश्र, उप सचिव, विधान परिषद् सचिवालय की संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये उपसचिव के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत श्री मुनेश कुमार, अनुसचिव को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 1776(अधिष्ठान)वि0प0-47 / 20—श्री संजय मेहरोत्रा, उप सचिव, विधान परिषद् सचिवालय की संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये उपसचिव के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत श्री हरि प्रताप सिंह, अनुसचिव को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 1777(अधिष्ठान)वि0प0-47 / 20—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश संख्या-1630 / अधि0,वि0प0-20 / 12 दिनांक 29 मई, 2024 के द्वारा श्री नीरज गर्ग, मुख्य प्रतिवेदक की प्रमुख प्रतिवेदक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये मुख्य प्रतिवेदक के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार शर्मा, उप मुख्य प्रतिवेदक को मुख्य प्रतिवेदक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 1778(अधिष्ठान)वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या-1774/अधि0,वि0प0-47/20 दिनांक 13 जून, 2024 के द्वारा श्री धनंजय सिंह, अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी की उपसचिव के पद पर, पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत श्री रमेन्द्र भाई पटेल, अनुभाग अधिकारी को अनसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 1779(अधिष्ठान)वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या-1775/अधि0,वि0प0-47/20 दिनांक 13 जून, 2024 के द्वारा श्री मुनेश कुमार, अनुसचिव की उपसचिव के पद पर, पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुसचिव के पद पर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत श्री संजय कुमार गुप्ता, अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 1780(अधिष्ठान)वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या-1776/अधि0,वि0प0-47/20 दिनांक 13 जून, 2024 के द्वारा श्री हरि प्रताप सिंह, अनुसचिव की उपसचिव के पद पर, पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुसचिव के पद पर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत श्री अरुण प्रकाश शर्मा, अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

06 अगस्त, 2024 ई0

सं0 2324(अधिष्ठान)वि0प0-20/12—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के रिक्त निजी सचिव श्रेणी-4 के अस्थायी पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100—2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-ख) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर मूल नियमावली-1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा श्री विजय कुमार मेहरोत्रा, निजी सचिव श्रेणी-3 को निजी सचिव श्रेणी-4 के अस्थायी पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100—2,15,900) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर नियुक्त किया जाता है।

09 अगस्त, 2024 ई0

सं0 2348(अधिष्ठान)वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या-2324(अधिष्ठान)वि0प0-20/12 दिनांक 06 अगस्त, 2024 द्वारा श्री विजय कुमार मेहरोत्रा, निजी सचिव श्रेणी-3 को निजी सचिव श्रेणी-4 के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर मूल नियमावली-1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा श्री विनय कुमार पाण्डेय, निजी सचिव श्रेणी-2 को निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर नियुक्त किया जाता है।

सं0 2349(अधिष्ठान)वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या-2348(अधिष्ठान)वि0प0-47/20 दिनांक 09 अगस्त, 2024 द्वारा श्री विनय कुमार पाण्डेय, निजी सचिव श्रेणी-2 की निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये निजी सचिव श्रेणी-2 के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर मूल नियमावली-1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा श्री धर्मेन्द्र सिंह, निजी सचिव श्रेणी-1 को निजी सचिव श्रेणी-2 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सेवानिवृत्ति

06 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 2592(अधिष्ठान)वि0प0-267/84—श्री नीरज गर्ग, प्रमुख प्रतिवेदक, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनॉक 31 अगस्त, 2025 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

नियुक्ति

10 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 2955(अधिष्ठान)वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या-2857/अधि0,वि0प0-267/84 दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के द्वारा रिक्त हुये अनुसचिव के राजपत्रित पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत श्री सुभाष प्रसाद, अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

स्थायीकरण

26 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 3732/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर स्थायी श्री राजेश सिंह को विशेष सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13क (1,31,100—2,16,600) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार विशेष सचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3733/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव के पद पर स्थायी श्री प्रताप नारायण द्विवेदी को उप सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार उपसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3734/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव के पद पर स्थायी श्री राकेश मिश्र को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार उपसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3735/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव एवं समिति अधिकारी के पद पर स्थायी श्री संजय कुमार को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार उपसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3736/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी श्री संजय मेहरोत्रा को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अनुसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3737/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी श्री धनंजय सिंह को अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी व उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3738/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी निम्न कार्मिकों को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अनुसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है—

1— श्री मुनेश कुमार,

2— श्री हरि प्रताप सिंह।

सं0 3739/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी निम्न कार्मिकों को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अनुसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है—

1— श्री सतीश कुमार यादव,

2— श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र।

सं0 3740/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी निम्न कार्मिकों को अनुसचिव एवं समिति अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव एवं समिति अधिकारी के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अनुसचिव एवं समिति अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है—

1— श्री विकास अग्रवाल,

2— श्री विनोद कुमार यादव।

सं0 3741/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर स्थायी निम्न कार्मिकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100—1,77,500) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार एवं अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है—

1— श्री संजय कुमार गुप्ता,

2— श्री अरुण प्रकाश शर्मा,

3— श्री सुभाष प्रसाद।

सं0 3742/वि0प0-56/95 अधि0–उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर स्थायी निम्न कार्मिकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100–1,77,500) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार एवं अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है–

1– श्री विनीत पाण्डेय,

2– श्री सुनील कुमार,

3– श्री मनोज कुमार साहनी,

4– श्री राजीव तिवारी,

5– श्रीमती गीतिका श्रीवास्तव,

6– श्री संजय कुमार द्वितीय।

30 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 3762/वि0प0-56/95 अधि0–उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव के पद पर स्थायी श्री प्रताप नारायण द्विवेदी को संयुक्त सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100–2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में संयुक्त सचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार संयुक्त सचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3763/वि0प0-56/95 अधि0–उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव के पद पर स्थायी श्री राकेश मिश्र को संयुक्त सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100–2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार संयुक्त सचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3764/वि0प0-56/95 अधि0–उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव के पद पर स्थायी श्री संजय मेहरोत्रा को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800–2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव एवं उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार उपसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3765/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर स्थायी श्री धनंजय सिंह को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार उपसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3766/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव के पद पर स्थायी श्री मुनेश कुमार को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव एवं के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार उपसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3767/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी श्री रमेन्द्र भाई पटेल को अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3768/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी निम्न कार्मिक को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक लेवल—11(67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता हैः—

1—श्री संजय कुमार गुप्ता,

2—श्री अरुण प्रकाश शर्मा।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—5 हिन्दी गजट—भाग 1—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 मई, 2025 ई० (वैशाख 13, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

May 22, 2024

No. 1608/Admin.(Services)/2024–Sushri Saumya Dwivedi, Additional Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Siddharth Nagar *vice* Sushri Ankita Chaudhary.

No. 1609/Admin. (Services)/2024–Sushri Ankita Chaudhary, Judicial Magistrate, First Class, Siddharth Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar *vice* Sri Nyaydhish Pankaj.

No.1610/Admin.(Services)/2024–Sri Nyaydhish Pankaj, Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Bansi (Siddharth Nagar) *vice* Sri Siddhant Yadav.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bansi (Siddharth Nagar).

No. 1611/Admin. (Services)/2024–Sri Siddhant Yadav, Civil Judge (Junior Division), Bansi (Siddharth Nagar) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bansi (Siddharth Nagar).

No. 1612/Admin.(Services)/2024–Smt. Abhilasha, Additional Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bansi (Siddharth Nagar).

May 28, 2024

No. 1613/Admin. (Services)/2024–Sri Vishal Thakur, Additional Civil Judge (Junior Division), Budaun to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Budaun against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sushri Garima Singh.

No.1614/Admin.(Services)/2024–Sushri Garima Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Budaun to be Additional Civil Judge (Junior Division), Budaun.

No. 1615/Admin. (Services)/2024–Sri Prashant Kumar, Additional Civil Judge (Junior Division), Budaun to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Budaun for trying cases of crime against women *vice* Sri Arjit Verma.

No. 1616/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No./2024/425/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.05.2024, Sri Arjit Verma, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Budaun is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Bilsi (Budaun).

No. 1617/Admin.(Services)/2024–Sushri Sangeeta-II, Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Etawah *vice* Smt. Aditi Malhotra.

No. 1618/Admin. (Services)/2024–Smt. Aditi Malhotra, Judicial Magistrate, First Class, Etawah to be Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah.

No. 1619/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No./2024/425/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.05.2024, Sri Rajat Sharma, Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Chakarnagar (Etawah).

No. 1620/Admin. (Services)/2024–Sri Kapil Sharma, Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Etawah against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Kushagra Mishra.

No. 1621/Admin. (Services)/2024–Sri Kushagra Mishra, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Etawah to be Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah.

No. 1622/Admin. (Services)/2024–Smt. Ruchi, Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Etawah for trying cases of crime against women *vice* Sushri Arushi Sharma.

No. 1623/Admin. (Services)/2024–Sushri Arushi Sharma, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Etawah to be Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah.

No. 1624/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No./2024/425/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.05.2024, Sri Zeeshan Mehdi, Additional Civil Judge (Junior Division), Ghazipur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Jakhaniya (Ghazipur).

No. 1625/Admin.(Services)/2024–Sushri Ayushi Goswami, Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Gorakhpur *vice* Smt. NandiniAgnihotri.

No. 1626/Admin. (Services)/2024–Smt. Nandini Agnihotri, Judicial Magistrate, First Class, Gorakhpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur.

No. 1627/Admin. (Services)/2024–Smt. Jyoti Verma, Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Gorakhpur *vice* Sushri Diksha Tyagi.

No. 1628/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No./2024/425/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.05.2024, Sushri Diksha Tyagi, Judicial Magistrate, First Class, Gorakhpur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Campierganj (Gorakhpur).

No. 1629/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No./2024/425/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.05.2024, Sri Vipin Kumar Chaurasiya, Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Shahganj (Jaunpur).

No. 1630/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No./2024/425/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.05.2024, Sri Ashutosh Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Badlapur (Jaunpur).

No. 1631/Admin. (Services)/2024–Sri Shubham Malviya, Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jaunpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission vice Sushri Ramsha Tanwir. :

No.1632/Admin.(Services)/2024–Sushri Ramsha Tanwir, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court) Jaunpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur.

No. 1633/Admin. (Services)/2024–Sri Rohit Patel, Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jaunpur for trying cases of crime against women *vice* Smt. Priya Sharma.

No. 1634/Admin. (Services)/2024–Smt. Priya Sharma, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jaunpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur.

No. 1635/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No./2024/425/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.05.2024, Sushri Priti-II, Additional Civil Judge (Junior Division), Mirzapur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Marihan (Mirzapur).

No.1636/Admin. (Services)/2024–Sushri Ankita, Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Moradabad for trying cases of crime against women *vice* Sushri Shilpi Singh.

No. 1637/Admin. (Services)/2024–Sushri Shilpi Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Moradabad to be Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad.

No.1638/Admin.(Services)/2024–Sushri Ananya Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Moradabad against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Ashok Kumar-XIV,

No. 1639/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No./2024/425/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.05.2024, Sri Ashok Kumar-XIV, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Moradabad is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Bilari (Moradabad).

No. 1640/Admin. (Services)/2024–Smt. Pragya Parashar, Additional Civil Judge (Junior Division), Rampur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Rampur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Shashiprabha Chaudhari.

No.1641/Admin.(Services)/2024–Sushri Shashiprabha Chaudhari, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Rampur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Rampur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Kumari Sweta.

No. 1642/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. (/2024/425/VIl-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.05.2024, Kumari Sweta, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Rampur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Bilaspur (Rampur).

May 29, 2024

No. 1643/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 531/Do-4-2024 dated 21.05.2024, Sushri Sadaf Imran, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Budaun.

No. 1644/Admin. (Services)/2024–In exercise of the powers-conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Shiv Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Jalaun at Orai till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 1645/Admin. (Services)/2024–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Shabih Zehra, Additional Principal Judge, Family Court, Saharanpur till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

May 30, 2024

No. 1646/Admin. (Services)/2024–Sri Kanhaiya Ji, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Jhansi to be Additional Chief Judicial Magistrate, Jhansi *vice* Sri Ram Gopal Yadav.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Jhansi.

No. 1647/Admin. (Services)/2024–Sri Ram Gopal Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Jhansi to be Civil Judge (Senior Division), Garotha, Jhansi in the newly created court created *vide* G.O. No. 09/ 2023/ 172/VII- Nyaya- 2-2023-202 (29) /76, dated 25.02.2023.

No. 1648/Admin. (Services)/2024–Sri Shivank Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Aligarh.

No. 1649/Admin. (Services)/2024–Sri Avinash Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Bareilly.

No. 1650/Admin. (Services)/2024–Sri Akash Verma, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Bareilly.

No. 1651/Admin. (Services)/2024–Sri Peeyush Bhartiya, Additional Civil Judge (Senior Division), Farrukhabad to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Farrukhabad.

No. 1652/Admin. (Services)/2024–Sri Shobhit Ray, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Ghaziabad.

No.1653/Admin. (Services)/2024–Smt. Apeksha Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda to be Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda *vice* Sri Abhinav Yadav-I.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Gonda.

No. 1654/Admin. (Services)/2024–Sri Abhinav Yadav-I, Additional Cheif Judicial Magistrate, Gonda to be Additional Cheif Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Gonda.

No. 1655/Admin. (Services)/2024–Sri Swatantra Singh Rawat, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Lucknow.

No. 1656/Admin. (Services)/2024–Sri Raj Deep Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Lucknow.

No. 1657/Admin. (Services)/2024–Smt. Priya Saxena, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate (Special Court Ayodhya Prakaran), Lucknow.

No. 1658/Admin.(Services)/2024–Sri Suryabhan Kumar Verma, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Mathura to be Additional Chief Judicial Magistrate (Railway), Mathura.

No. 1659/Admin. (Services)/2024–Sri Abhinav Jain, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Varanasi.

May 31, 2024

No. 1660/Admin. (Services)/2024–Sri Anand Prakash-III, Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jhansi *vice* Sri Pawan Kumar Sharma-I.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Jhansi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1661/Admin. (Services)/2024–Sri Pawan Kumar Sharma-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jhansi *vice* Sri Dhirendra Kumar-III.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Jhansi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1662/Admin. (Services)/2024–Sri Dhirendra Kumar-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jhansi for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Shakti Putra Tomar.

No. 1663/Admin. (Services)/2024–Sri Shakti Putra Tomar; Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge, Jhansi.

No. 1664/Admin. (Services)/2024–Sri Durgesh, Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) *vice* Sri Amit Malaviya.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1665/Admin. (Services)/2024–Sri Amit Malaviya, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Rajat Sinha.

No. 1666/Admin. (Services)/2024–Sri Rajat Sinha, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) to be Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

June 04, 2024

No. 1667/Admin. (Services)/2024–Smt. Jagrati Gupta, Additional Civil Judge (Junior Division), Basti is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Basti *vice* Sri Akhil Kumar.

No. 1668/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification No./2024/467/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 03.06.2024, Sri Akhil Kumar, Judicial Magistrate, First Class, Basti is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Tehsil Harraiya in District Basti in the newly created court, created vide G.O. No. 25/2015/1462/ VII-Nyay-2-2015- 216G/2007 dated 24.11.2015.

No. 1669/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification No./2024/467/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 03.06.2024, Sri Sarfaraj Ahmad, Additional Civil Judge, (Junior Division), Basti is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Tehsil Radhauli in District Basti in the newly created court, created *vide* G.O. No. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/2007 dated 24.11.2015.

No. 1670/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification No./2024/467/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 03.06.2024, Sri Gaurav Deep Singh, Additional Civil Judge, (Junior Division), Basti is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Tehsil Bhanpur in District Basti in the newly created court, created *vide* G.O. No. 10/2019/442/Saat-Nyay-2-2019-216G/ 2007 dated 09.05.2019.

June 10, 2024

No. 1671/Admin. (Services)/2024–Sri Ram Kishor-IV, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Special Judge, Anti-corruption VB-UPSEB, Lucknow *vice* Sri Irfan Ahmad.

No. 1672/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 1181/VII-Nyay-1-2024-8 (Pra)/2008 dated 07.06.2024, Sri Irfan Ahmad, Special Judge, Anti-corruption VB-UPSEB, Lucknow is appointed/posted as the Additional Director, Judicial Training and Research Institute, U.P., Lucknow on deputation basis.

No. 1673/Admin. (Services)/2024–Smt. Jyotsna Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Special Judge, Kushinagar at Padrauna in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Sri Mohd. Rashid.

No. 1674/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 576/II-4-2024 dated 06.06.2024, Sri Mohd. Rashid, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna is appointed/posted as the Registrar, U.P. State Consumer Redressal Commission, Lucknow on deputation basis.

June 14, 2024

No. 1675/Admin. (Services)/2024–Sri Rajendra Prasad Bharati, Civil Judge (Junior Division), Mau, Chitrakoot is promoted and posted as Chief Judicial Magistrate, Chitrakoot, notionally from 07.01.2019 *vice* Sri Surya Kant Dhar Dubey.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Chitrakoot.

No. 1676/Admin. (Services)/2024–Sri Surya Kant Dhar Dubey, Chief Judicial Magistrate, Chitrakoot to be Civil Judge (Senior Division), Chitrakoot *vice* Sri Sachin Kumar Dixit.

No. 1677/Admin. (Services)/2024–Sri Sachin Kumar Dixit, Civil Judge (Senior Division), Chitrakoot to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Chitrakoot.

No. 1678/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification/ Appointment No. 586/Do-4-2024 dated 06.06.2024, Sri Azam Rehmani, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mainpuri.

June 21, 2024

No. 1679/Admin. (Services)/2024–Smt. Nidhi Shishodia, Additional Civil Judge (Senior Division), Auraiya to be Civil Judge (Senior Division), Auraiya *vice* Sri Jeevak Kumar Singh.

No. 1680/Admin. (Services)/2024–Sri Jeevak Kumar Singh, Civil Judge (Senior Division), Auraiya to be Chief Judicial Magistrate, Auraiya *vice* Smt. Farha Jameel.

No. 1681/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 1310/VII-Nyay-1-2024-8 (Pra)/2008 dated 20.06.2024, Smt. Farha Jameel, Chief Judicial Magistrate, Auraiya is appointed/posted as Deputy Director, Judicial Training and Research Institute, U.P., Lucknow on deputation basis.

No. 1682/Admin. (Services)/2024–Sri Peeyush Tripathi, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Sri Anand Mishra.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Lucknow.

No. 1683/Admin. (Services)/2024–Sri Anand Mishra, Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Sri Kuwar Mitresh Singh Kushwaha.

No. 1684/Admin. (Services)/2024–Sri Kuwar Mitresh Singh Kushwaha, Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Civil Judge (Senior Division), Malihabad at Lucknow *vice* Smt. Sakshi Garg.

No. 1685/Admin. (Services)/2024–Smt. Sakshi Garg, Civil Judge (Senior Division), Malihabad at Lucknow to be Civil Judge (Senior Division), Mohanlalganj at Lucknow *vice* Sri Sunil Kumar-VI.

No. 1686/Admin. (Services)/2024–Sri Sunil Kumar-VI, Civil Judge (Senior Division), Mohanlalganj at Lucknow to be Civil Judge (Senior Division), Lucknow *vice* Sri Ankur Garg.

No. 1687/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 1282/VII-Nyay-1-2024-8 (Pra)/2008 dated 20.06.2024 and 1311/VII-Nyay-1-2024-8 (Pra)/2008 dated 20.06.2024, Sri Ankur Garg, Civil Judge (Senior Division), Lucknow is appointed/posted as Deputy Director, Judicial Training and Research Institute, U.P., Lucknow on deputation basis.

June 22, 2024

No. 1688/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 632/II-4-2024 dated 21.06.2024, Sri Dinesh Singh, Secretary, Uttar Pradesh State Law Commission, Lucknow is appointed/posted as Special Secretary and Additional Legal Remembrancer (Nyay Vibhag), Government of U.P., Lucknow, on deputation basis.

No. 1689/Admin. (Services)/2024–Sri Avinash Chandra Mishra, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Moradabad in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, *vice* Dr. Keshav Goyal.

No. 1690/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 632/II-4-2024 dated 21.06.2024, Dr. Keshav Goyal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Moradabad is appointed/posted as Special Secretary and Additional Legal Remembrancer (Nyay Vibhag), Government of U.P., Lucknow, on deputation basis.

No. 1691/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 632/II-4-2024 dated 21.06.2024, Sri Sushil Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Kasganj is appointed/posted as Special Secretary and Additional Legal Remembrancer (Nyay Vibhag), Government of U.P., Lucknow, on deputation basis.

No. 1692/Admin.(Services)/2024–Sushri Kavya Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur *vice* Sri Anuj Kumar Jauher.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Jaunpur.

No. 1693/Admin.(Services) /2024–Sri Anuj Kumar Jauher, Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur to be Civil Judge (Senior Division) Jaunpur *vice* Sri Vivek Kumar Singh-I.

No. 1694/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 632/II-4-2024 dated 21.06.2024 Sri Vivek Kumar Singh-I, Civil Judge (Senior Division), Jaunpur is appointed/posted as Senior Law Officer in the Directorate of Medical & Health, U.P., Lucknow on deputation basis.

No. 1695/Admin. (Services)/2024–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Vishnu Kumar Sharma, District & Sessions Judge, Hamirpur till the new Principal Judge, Family Court, Hamirpur assumes charge of the office.

By Order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

मेरठ के आयुक्त की आज्ञायें

विज्ञप्ति

13 जनवरी, 2023 ई0

सं0 916/आठ-06/2022-2024–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सख्या-745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 तथा उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ की अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(1)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6, 7 व 8 (क्रमशः खसरा संख्या/क्षेत्रफल/विवरण) में उल्लिखित ग्राम-नंगोला अमीपुर, परगना-जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद की 0.1373 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी-गाजियाबाद के पत्र संख्या-1998/सात-डी0एल0आर0सी0/पुर्न0/गा0बाद/2022 दिनांक 02 जनवरी, 2023 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि का मूल्यांकन रु0 1,64,78,550.00 एवं परिवर्तन शुल्क अंकन रु0 10,29,750.00 सहित कुल धनराशि रु0 1,75,08,300.00 रुपये (रुपये एक करोड़, पिचहत्तर लाख, आठ हजार, तीन सौ मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने तथा उक्त भूमि के बदले ग्राम-भोजपुर, परगना-जलालाबाद, तहसील-मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या-168-मि0 रकबा 0.2530 है0 (बंजर) भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5-3-ड़ के अन्तर्गत दर्ज है, में से 0.1373 हे0 आरक्षित करने की शर्त के अधीन डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु जिलाधिकारी गाजियाबाद को हस्तान्तरित करती हूँ–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	विवरण	पुनर्ग्रहण का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	नंगोला अमीपुर	7	0.0805	नाली	पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर परियोजना हेतु।
				8	0.0376	चकमार्ग	
				17	0.0047	नाली	
				16	0.0078	चकमार्ग	
				11	0.0067	नाली	
				योग. .	**0.1373**		

23 अगस्त, 2023 ई0

सं0 2434/आठ-43/2022-2024—शासनादेश सं0-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम-8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2016 के नियम-55 के प्राविधानों में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों का उपभोग करते हुए मैं, सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 व 7 (खसरा संख्या/क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक ग्राम सभा में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा जिलाधिकारी-गाजियाबाद के पत्र संख्या-73/सात-डी0एल0आर0सी0-कले0-गा0 बाद/पुर्न0/2023, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर 132 केवी विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु तहसील व जिला गाजियाबाद के ग्राम- नूरनगर, परगना-लोनी स्थित राजनगर एक्स0 गाजियाबाद, में स्थित ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या-151, रकबा 0.2150 हे0, खसरा संख्या-152, रकबा 0.0130 हे0, खसरा संख्या-153, रकबा 0.0630 हे0 तथा खसरा संख्या-225-ग मि0, रकबा 1.2650 हे0 कुल रकबा 1.5560 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण कर रु0 01 प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य पर 30 वर्ष के लिये पुनर्ग्रहण के माध्यम से पट्टे पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0 लखनऊ के पक्ष में हस्तान्तरित करती हूँ—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	श्रेणी	विशेष प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	नूरनगर	नूरनगर	151	0.2150	(नवीन परती) 5-1	विद्युत उप-केन्द्र के निर्माण हेतु
					152	0.0130	(बंजर) श्रेणी 5-3ड	
					153	0.0630	,,	
					225-ग-मि0	1.2650	,,	
					योग. .	**1.5560**		

सेल्वा कुमारी जे0,
आयुक्त,
मेरठ-मण्डल, मेरठ।

मीरजापुर के जिलाधिकारी की आज्ञा

23 अगस्त, 2023 ई0

सं0 1609/जि0भू0व्य0लि0/पत्रा0सं0-33/पुनर्ग्रहण/2015—शासनादेश संख्या-744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिस्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012 की धारा 59 की उप धारा (04) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा 741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, दिव्या मित्तल जिलाधिकारी, मीरजापुर, निम्न अनुसूची के स्तम्भ-08 में उल्लिखित भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा उपजिलाधिकारी चुनार द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 10 अगस्त, 2023/16 अगस्त, 2023 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)/ 2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था अनुसार 01 रु0 प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के पट्टे पर उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड शाहुपुरी वाराणसी के पक्ष में निम्न शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है—

अनुसूची

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	पुनर्ग्रहण का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मीरजापुर	चुनार	भगवत	जंगल महाल	ग्राम सभाजंगल महाल	1146-मि0	4.00 हे0	5(3)ड बंजर	उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन को 220 के0वी0 उपकेन्द्र चुनार निर्माण हेतु 1 रु0 प्रति एकड़ सांकेतिक मुल्य पर 30 वर्ष हेतु पट्टे पर रु0 15,000/— प्रतिवर्ष वार्षिक किराये के साथ दिये जाने हेतु।

1— प्रस्तावित भूमि का उपयोग विहित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

2— निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग करने पर पट्टा निस्स्त समझा जायेगा तथा भूमि पुनः ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण में निहित समझी जायेगी।

3— पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे संबंधित को वापस कर दिया जायेगा।

4— प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन को बेचने, पट्टे पर देने अथवा किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने अथवा व्यवस्थित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा।

5— प्रश्नगत भूमि 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जायेगी, जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 30-30 वर्ष हेतु पट्टा नवीनीकृत कराया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की सांकेकित अवधि 90 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

6— भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पंजीकृत मूल्य/अंकित किराया जमा कराया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा।

7— उपर्युक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन उप जिलाधिकारी चुनार द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

दिव्या मित्तल,
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

हमीरपुर के जिलाधिकारी की आज्ञा

निरस्तीकरण आदेश

19 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 24/डी0एल0आर0सी0-12ए-निरस्तीकरण (2021-22)—नवीन राजकीय पालीटेक्निक सुमेरपुर की स्थापना के लिये आदेश संख्या-1364/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण 2018-19 दिनांक 03 जुलाई, 2019 द्वारा तहसील हमीरपुर, परगना हमीरपुर, मौजा मुंझूपुर स्थित गाटा संख्या-102, रकवा 1.619 हे0 श्रेणी बीहड़ के पक्ष में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग (उ0प्र0) के पक्ष में नवीन पालीटेक्निक की स्थापना हेतु आवंटित की गयी भूमि थी, किन्तु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा स्थलीय सर्वेक्षण के उपरान्त भूमि को उपयुक्त नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-888/डी0एल0आर0सी0-2ए-पालीटेक्निक 2019-20 दिनांक 22 फरवरी, 2020 के माध्यम से प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को ग्राम/कस्बा कुरारा, तहसील हमीरपुर स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक भूमि गाटा संख्या-1634-मि0 क्षेत्रफल 5.459 हे0 में से समिति की आख्या के अनुसार 04 एकड़ (1.619 हे0) भूमि राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु भूमि हस्तान्तरण करने की संस्तुति प्रेषित की गयी थी। तत्पश्चात् विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ ने अपने फाईल नम्बर 16-3002 (099/3/2020-3-159) दिनांक 17 जुलाई, 2020 के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर, जनपद हमीरपुर में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिपत्य में जिला एवं तहसील हमीरपुर के ग्राम मौजा कुरारा स्थित खतौनी सं0-01049, गाटा संख्या-1634 रकवा 5.459 हे0 भूमि में से 4 एकड़ अर्थात 1.619 हे0 भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग को निःशुल्क नवीन राजकीय पालीटेक्निक के निर्माण हेतु आवंटित अनुमति प्रदान की गयी। प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक सुमेरपुर, हमीरपुर के पत्र संख्या-333-335/नवीन पालीटेक्निक-2021 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 के द्वारा तहसील हमीरपुर, परगना हमीरपुर, मौजा मंझूपुर स्थित गाटा संख्या-102, रकवा 1.619 हे0 श्रेणी बीहड़ भूमि पुनः ग्राम समाज बीहड़ श्रेणी में दर्ज करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1 (क)-36-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में उल्लिखित उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 पारा 59 को उपधारा 4(ग) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी, हमीरपुर अनुसूची के स्तम्भ-6 में अंकित भूमि गाटा संख्या-102 रकवा 1.619 हे0 का पूर्व निर्गत पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-1364/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण 2018-19 निरस्त करता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	भूमि का मूल्य	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गई है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हमीरपुर	हमीरपुर	हमीरपुर	मंझूपुर	102	1.619 हे0	बीहड़	रु0 3561800	राजकीय पालीटेक्निक के स्थापना हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

डॉ0 चन्द्र भूषण,
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

आगरा के जिलाधिकारी की आज्ञा

11 जनवरी, 2023 ई0

सं0 2054/डीएलआरसी0–उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक–1–2016–20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि ''राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय'' की स्थापना हेतु, उ0प्र0 शासन के आयुष विभाग के निवर्तन पर रखते हुए जिला क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आगरा को निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ–

अनुसूची–1

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	बाह	बाह	जैतपुरकलाँ	358-ग	5.3580 हे0 में से 0.0225 हे0	आबादी	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु।

नवनीत सिंह चहल,
जिलाधिकारी,
आगरा।

बहराइच के जिलाधिकारी की आज्ञा

07 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 393/बारह-ए/भू0व्य0(पुर्नग्रहण)/2023–अधिसूचना संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, मोनिका रानी, जिलाधिकारी बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी पयागपुर, बहराइच द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 04 सितम्बर, 2023 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्थायी कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के निर्वतन पर रखती है–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा/गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बहराइच	पयागपुर	बहराइच	सहसरावा	549	0.444	नवीन परती	स्थायी कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु।
				556	0.592	बंजर	

मोनिका रानी,
जिलाधिकारी,
बहराइच।

वाराणसी के आयुक्त की आज्ञा

06 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 1497/8-18(2018-2021)रा0स0–उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4(1) (ग) में किये गये प्राविधान तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1) (ज), (झ), (ट) व (ड) एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 की उपधारा(2), उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-28/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन मैं, कौशल राज शर्मा, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण, प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वाराणसी	राजा तालाब	कसवार राजा	इसरवार	इसरवार	कुल गाटा संख्या-6 आराजी नं0 16, 36-ख, 38, 204, 203, 205-घ	रकबा 0.510 हे0	बंजर, चकमार्ग, नाली	मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 को एल0पी0जी0 बॉटलिंग प्लान्ट की निर्माण हेतु।

कौशल राज शर्मा,
आयुक्त।

भदोही के जिलाधिकारी की आज्ञा

17 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 235/डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2023—शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, गौरांग राठी, जिलाधिकारी भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	चकमान्धाता	229-घमि0	0.177 हे0	प्राचीन परती	गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन (जनपद के शहरी थाना गोपीगंज के लिए आवास निर्माण हेतु)।

गौरांग राठी,
जिलाधिकारी,
भदोही।

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञा

आकार पत्र-1

26 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 210-A/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2022-23)—शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1994 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-32/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गंव, गांवसभा /स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	पाली	मडावरा	जमौरा ग्राम सभा जमौरा	283	0.263 हे0 में से 0.024 हे0	श्रेणी 6-2 / अकृषिक भूमि	ग्राम जमौरा में पंचायत भवन निर्माण हेतु पंचायती राज विभाग के पक्ष में निःशुल्क।

अक्षय त्रिपाठी,
जिलाधिकारी,
ललितपुर।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

25 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 2316 / जी0-181 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी परगना हसनपुर मगहर जनपद गोरखपुर के ग्राम रानीडीह में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

जी0एस0 नवीन कुमार,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

07 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 5838 / जी0-155ए / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना अमृतपुर जनपद फर्रूखाबाद के ग्राम बलीपट्टी रानीगांव में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5839 / जी0-226 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना जनपद औरैया के ग्राम रामपुर खास में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5840 / जी0-161 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील महरौनी परगना बानपुर जनपद ललितपुर के ग्राम सुनवाहा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5841 / जी0-38ए / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना कन्नौज जनपद कन्नौज के ग्राम महचन्दापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

13 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 5998 / जी0-28 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी परगना कोट जनपद बदायूं के ग्राम मुहम्मदगंज में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

20 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 6200 / जी0-164 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चायल जनपद कौशाम्बी के ग्राम शेरगढ़ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

26 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 6365 / जी0-363 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कासिमाबाद परगना पचोतर जनपद गाजीपुर के ग्राम रायपुर बाघपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 6366 / जी0-28 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिसौली परगना इस्लामनगर जनपद बदायूं के ग्राम सिठौली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 6367/जी0-201/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना कन्तित जनपद मीरजापुर के ग्राम पतार खुर्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

05 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 6503/जी0-201/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना कन्तित जनपद मीरजापुर के ग्राम बरड़ीहा खुर्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

16 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 6693/जी0-49A/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बीघापुर परगना पाटन जनपद उन्नाव के ग्राम धमनीखेड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 6694/जी0-166A/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम खरवहिया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 6695/जी0-241/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बहेड़ी परगना चौमहला जनपद बरेली के ग्राम माधौपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

19 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 6743/जी0-152/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लम्भुआ परगना चांदा जनपद सुलतानपुर के ग्राम गजापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 6744 / जी0-324 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बदायूं परगना उझानी जनपद बदायूं के ग्राम भूड़ा भदरौल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

07 जनवरी, 2025 ई0

सं0 161 / जी0-238 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी के ग्राम मदनापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 163 / जी0-362ए / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा परगना हवेली जनपद महराजगंज के ग्राम पुरन्दरपुर सोनवरसा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

10 जनवरी, 2025 ई0

सं0 239 / जी0-160 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के ग्राम गजेन्दरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 240 / जी0-157 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर के ग्राम कुण्डरी ता0 खण्डहर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 241 / जी0-157 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी परगना सलेमपुर मझौली जनपद देवरिया के ग्राम ओबरी पाण्डेय में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 242 / जी0-178 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी परगना बांसी पूरब जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम महुआ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 243 / जी0-43 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना देवबन्द जनपद सहारनपुर के ग्राम मिरगपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

17 जनवरी, 2025 ई0

सं0 325 / जी0-51 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फतेहपुर परगना कुर्सी जनपद बाराबंकी के ग्राम भदेसिया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 326 / जी0-362ए / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा परगना हवेली जनपद महराजगंज के ग्राम मोहनापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

22 जनवरी, 2025 ई0

सं0 424 / जी0-160 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना सिकन्दरपुर गर्वी जनपद मऊ के ग्राम पहाड़पुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

27 जनवरी, 2025 ई0

सं0 477 / जी0-158ए / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील छिबरामऊ परगना सौरिख जनपद कन्नौज के ग्राम कुसका में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 478 / जी0-154 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मनकापुर जनपद गोण्डा के ग्राम मनीपुर ग्रन्ट में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 479 / जी0-151 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सलेमपुर परगना सलेमपुर मझौली जनपद देवरिया के ग्राम छपरा रूप में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 485 / जी0-233 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शाहाबाद परगना पण्डरवा जनपद हरदोई के ग्राम मनिकापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

07 फरवरी, 2025 ई0

सं0 728 / जी0-163A / 67—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हमीरपुर परगना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के ग्राम अतरैया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 729 / जी0-धारा-6(1) / 2017-18(आपत्ति)—निदेशालय के पत्र संख्या-3146 / जी0-धारा-6(1) / 2017-18(आपत्ति) दिनांक 05 जून, 2018 द्वारा जनपद मैनपुरी के ग्राम रीछपुरा को उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने हेतु विज्ञप्ति निर्गत की गयी थी, जिसमें ग्राम रीछपुरा की तहसील का नाम कुरावली के स्थान पर करहल त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है, जबकि ग्राम रीछपुरा की तहसील का शुद्ध नाम कुरावली होना चाहिए।

अतः निदेशालय के पत्र संख्या-3146 / जी0-धारा-6(1) / 2017-18(आपत्ति) दिनांक 05 जून, 2018 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में ग्राम में रीछपुरा की त्रुटिपूर्ण अंकित तहसील करहल के स्थान पर तहसील का शुद्ध नाम कुरावली पढ़ा जाय। शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—5 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 मई, 2025 ई० (वैशाख 13, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर

06 मार्च, 2025 ई0

सं0 3216/न0पा0परि0अ0/2024-25–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916 की धारा-153 और 296 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, अधिनियम की धारा-300 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या-2191/नौ-9-19-85ज/05टी0सी0-1 दिनांक 18 नवम्बर, 2019 में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में नगर पालिका परिषद्, अकबरपुर के पत्र संख्या-2075/न0पा0परि0अ0/2024-25 दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के द्वारा दैनिक समाचार-पत्र ''राष्ट्रीय सहारा व जनमोर्चा'' में संशोधित मासिक किराया दर प्रकाशित कर, उक्त के सम्बन्ध में 15 दिवस में आपत्तियां आमंत्रित की गयी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। पालिका के पत्र संख्या-2342/न0पा0परि0अ0/2024-25 दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 के द्वारा संशोधित मासिक किराया दर का अन्तिम प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र ''राष्ट्रीय सहारा व तमसा संकेत'' में किया गया। उक्त संशोधित मासिक किराया दर राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। नियमावली निम्नवत् है–

1– उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2024 नगर पालिका परिषद्, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर में लागू किया जाता है।

2– यह नियमावली नगर पालिका परिषद्, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर की सीमा के अन्तर्गत लागू होगा।

3– संशोधित मासिक किराया दर निम्नवत है–

संशोधित मासिक किराया दर

विवरण	सम्पत्ति का प्रकार	मुख्य मार्ग									अन्य मार्ग		
		08 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित			04 मीटर से 08 मीटर तक चौड़े मार्ग पर स्थित			04 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित			भूमि के सम्बन्ध में स्थित		
		RCC छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	RCC छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	RCC छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	08 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित	04 मीटर से 08 मीटर तक चौड़े मार्ग पर स्थित	04 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित
		संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
वार्ड का नाम		**विस्ततरित क्षेत्र की दरें**											
नेहरूनगर, लोरपुर, सिझौली, सदरपुर, अमरौला, अहरिया, कृष्णानगर, मिर्जापुर, गोविन्द गनेशपुर, शिवबाबा, गौसपुर, रावीपुर, बहाउद्दीनपुर, विजयगांव, नासिरपुर बरवा	आवासीय	0.30	0.24	0.18	0.24	0.18	0.12	0.18	0.12	0.06	0.06	0.04	0.04
	व्यवसायिक	0.80	0.64	0.42	0.64	0.48	0.24	0.32	0.24	0.16	0.16	0.08	0.06
	संस्थागत	0.70	0.50	0.40	0.60	0.40	0.20	0.50	0.30	0.16	0.16	0.10	0.08
	औद्योगिक	0.80	0.60	0.50	0.70	0.50	0.26	0.50	0.26	0.16	0.16	0.10	0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
वार्ड का नाम	**शहरी क्षेत्र की दरें**												
संघतिया, अब्दुल्लापुर, शहजादपुर, शहजहांपुर, इन्द्रलोक, रसूलाबाद, मीरानपुर मुरादाबाद, शास्त्रीनगर, पटेलनगर, गांधीनगर	आवासीय	0.48	0.36	0.24	0.36	0.30	0.18	0.30	0.18	0.12	0.06	0.04	0.04
	व्यवसायिक	0.96	0.80	0.40	0.80	0.64	0.40	0.64	0.42	0.32	0.16	0.08	0.06
	संस्थागत	1.00	0.80	0.50	0.80	0.60	0.40	0.60	0.40	0.26	0.20	0.16	0.10
	औद्योगिक	1.10	0.90	0.60	0.90	0.70	0.50	0.70	0.50	0.30	0.20	0.16	0.10

(ह0) अस्पष्ट,

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
अकबरपुर-अम्बेडकरनगर।

कार्यालय, नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली

03 फरवरी, 2025 ई0

सं0 690/न0पं0था0/2024-25—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा—298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली द्वारा आहुत अपनी बैठक दिनांक 04 जुलाई, 2024 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में ''भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024'' बनायी गयी है। प्रस्तावित ''भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024'' को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 के अन्तर्गत अपेक्षा अनुसार सभी नगर वासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से नगर पंचायत थानाभवन कार्यालय के पत्रांक 560/न0पं0था0/भ0नि0एवंवि0उपविधि/2024 दिनांक 14 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रस्तावित ''भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024'' का प्रकाशन समाचार पत्र दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं दैनिक विश्व मानव में दिनांक 15 नवम्बर, 2024 में कराते हुए 30 दिन के भीतर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नियत अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत थानाभवन कार्यालय में प्राप्त नही हुए। नगर पालिका अधिनियम 1916 के निहित प्राविधानों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त ''भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024'' शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

''नगर पंचायत थानाभवन 'भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024''

शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली में **''भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024''** कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

संक्षिप्त नाम एवं प्रसार–

1– यह उपविधि नगर पंचायत थानाभवन भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024 कहलायेगी।

2– यह उपविधि नगर पचांयत थानाभवन की सीमा के अन्तर्गत भवन, मार्ग व नाली के निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु लागू होगी।

3– इस उपविधि का प्रयोग नगर पंचायत बोर्ड द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत भवनों का नियंत्रित व विनियमित करने तथा नगर पंचायत सीमा के बाहर 5 मील की दूरी तक किसी भी नाला या नाली के निर्माण को नियंत्रित व विनियमित करने हेतु किया जा सकेगा।

4– यह उपविधि नगर पंचायत बोर्ड की सहमत होने की दशा में नगर पचांयत सीमा से संलग्न चारों ओर उस दूरी तक किसी भी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियंत्रित व विनियमित करने की शक्ति नगर पंचायत को प्रदान करती है जहॉ तक नगर पंचायत द्वारा आवश्यक सेवाओं जिसमें सड़क व नाली निर्माण भी सामिल है के बदले ग्रहकर जलकर या अन्य करों की वसूली की जाती है।

5– यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

6– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होगें।

परिभाषाऍं–

1– अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम 1965 (यथा संशोधित अधिनियम 2008) एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

2– परिवर्तन अथवा परिवर्धन से तात्पर्य भवन की संरचना में होने वाले किसी भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन से है जिसके अंतर्गत दीवार, छज्जा, दरवाजा, खिडकी, छत इत्यादि सभी सम्मलित है।

3– बेसमेंट से तात्पर्य भूतल से नीचे या अंशत भूतल के नीचे के निर्माण से है।

4– अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत थानाभवन के अधिशासी अधिकारी से है।

5– अध्यक्ष/प्रशासक से तात्पर्य नगर पंचायत थानाभवन के अध्यक्ष या प्रशासक से है।

6– बोर्ड से तात्पर्य नगर पचांयत थानाभवन के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था से है।

7– स्टिल्ट फलोर से तात्पर्य प्लिन्थ से खम्बो (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम तीन तरफ से खुली हो तथा पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत हो, से है।

8– भवन का तात्पर्य किसी मकान झादक(शेड), छोपडी, बाडा या अन्य ढांचे से है चाहे पक्की ईंट, लकड़ी, धातु अथवा किसी अन्य पदार्थ से बना हो। चाहे उसका प्रयोग मनुष्य के रहने के लिए अथवा किसी अन्य कार्य के लिए किया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई बरामदा चबुतरा मकान की कुर्सी जिन्ना देहेली दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनुलग्न न हो कि चार दीवारी से भिन्न किसी आहते की दीवार सम्मिलित है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तम्बु या अन्य कोई परिवहनीय अस्थायी आश्रय स्थल नही है।

9– **''नक्शा नफीस/मानचित्रकार/ड्राफ्टमैन''** का अभिप्राय नगर पंचायत थानाभवन के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस से है।

10– **''व्यवसायिक निर्माण''** से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो व्यापार, उद्योग या अन्य व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित किया गया हो।

11– **जनोपयोगी सेवा के निर्माण** से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि जनकल्याण किये जाने से होगा, जिसमें वृद्धा आश्रम व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए निर्मित आवास से है।

12– **शासकीय सम्पत्ति** से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत थानाभवन की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल, थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय आदि के भवन से है।

13– **''निवास ग्रह''** से तात्पर्य ऐसे भवनों से है जिनका उपयोग तीर्थ यात्रियों को ठहरने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिए निर्मित हो, से है।

14– **खुले स्थान** का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो भूखण्ड का अभिन्न भाग हो और आकाश तक खुला हो।

15– **स्वामी** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका भाग या भवन पर विधिक अधिकार हो अथवा किराया प्राप्त करता हो अथवा परिसर किराये पर होने की दशा में किराया प्राप्त करनें का हकदार हो एवं इसमें निम्न भी शामिल होंगे।

1– कोई अभिकर्ता या व्यक्ति जो स्वामी की ओर से किराया प्राप्त करता हो।

2– कोई अभिकर्ता या व्यक्ति जो किराया प्राप्त करता हो या जिसे किसी भूमि या भवन का प्रबन्ध सुपुर्द किया गया हो जो धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए हो।

3– किसी सक्षम प्राधिकार युक्त न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर या प्रबन्धक जिसे परिसर में स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है।

16– **भूखण्ड** का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है जो चारों ओर निश्चित सीमाओं से घिरा हो।

17– **बजार स्ट्रीट** का तात्पर्य सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध (लीनियर) रूप में मिश्रित निर्माण से है।

भवन के प्रकार–

1– **आवासीय भवन**– आवासीय भवन के अंतर्गत वे भवन सम्मिलित होगे जिनमें सामान्यत आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

2– **शैक्षिक भवन**– शैक्षिक भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें स्कूल, कॉलेज या प्रतिष्ठान जहॉ शिक्षण या प्रशिक्षण हेतु लोग जमा होते हों।

3– **संस्थागत भवन**– संस्थागत भवन के अर्न्तगत वे सभी भवन या भवनो के भाग सम्मिलित होंगे, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो यथा चिकित्सालय, नर्सिग होम, स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य उपचार या भौतिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीडित व्यक्तियों की देखभाल या दुर्बल शिशुओं की देखभाल, आरोग्य प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों के रहने, वृद्व व्यक्तियों अथवा दण्डात्मक रूप में या सुधार हेतु निरूद्ध व्यक्तियों के रहने का स्थान भी सम्मिलित हो।

संस्थागत भवन में अस्पताल, सैनीटोरीयम, अभिरक्षा सम्बन्धी संस्थायें और दण्डात्मक संस्थायें यथा जेल, कारागार, मानसिक चिकित्सालय, सुधार गृह, अनुसंधान संस्थायें एवं अन्य उच्च स्तरीय संस्थायें भी सम्मिलित होगी।

4– **असेम्बली भवन**– इसके अर्न्तगत वे भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जो जन समुदाय के लिए आमोद–प्रमोद, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति, सिविल, ट्रैवल, तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होता हो, उदाहरण स्वरूप नाट्यशाला, छविगृह, सामुदायिक भवन, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी भवन, पूजा स्थल, संग्रहालय, स्केटिंग, व्ययामशाला, नृत्य गृह, क्लब, यात्री स्टेशन, वायु, थल अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के टर्मिनल्स, मनोरंजन पार्क, क्रीडा-स्थल।

5– **व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन**– इसके अर्न्तगत वे भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जो दुकानों, भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रर्दशन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, होटल, पैट्रोल पम्प, क्न्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधायें जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुषांगिक हो और उसी भवन में स्थित हो, सम्मिलित होंगे।

6– **कार्यालय भवन**– इसके अर्न्तगत वे भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जो किसी अभिकरण, संस्था, एवं प्रतिष्ठान के प्रशासनिक कार्यो के सम्पादन तथा लेखां एवं अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रयुक्त होता हो।

7– **औद्योगिक भवन**– इसके अर्न्तगत वे भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जिनमें किसी प्रकार के उत्पाद या सामग्री बनाई जाती हो, संयोजन के लिए हो या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) किये जाते हो।

8– **संग्राहागार भवन**– इसके अंर्तगत वे भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होंगे जो मुख्यतः माल के संग्रहण या भण्डारण हेतु प्रयोग में आते हो, उदाहरणार्थः वेयरहाउस, शीतगृह, फ्रीट डिपो, ट्रान्जिट शेडस, स्टोर हाउस, हेंगर, ग्रेनएलीवेटर, धान्यागार (बार्न) और अस्तबल, आदि।

9– **बहुमंजिला भवन**– बहुमंजिला भवन का तात्पर्य भूतल सहित 4 मंजिल से अधिक भवन अथवा 15 मीटर से अधिक उंचाई के भवन से है।

टिप्पणी– वे शब्द या पद जो इस उपविधी मे परिभाषित नही किये गये है, उनके वही अर्थ होंगे जैसा उन्हें अधिनियम/नेशनल बिल्डिंग कोड मे निर्दिष्ट किया गया है।

विकास एवं निर्माण सम्बन्धी ऐसी अपेक्षायें/प्रावधान जो इस उपविधि में नही है, के सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड तथा आई0एस0/बी0आई0एस0 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

भवन निर्माण हेतु आवेदन– आवेदक द्वारा भवन निर्माण से पूर्व एक आवेदन नगर पंचायत द्वारा निर्धारित फार्मेट पर निर्धारित शुल्क जमा करके चार सेट के साथ नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

भवन निर्माण एवं विकास अनुज्ञा हेतु अनिवार्यतायें–

1– समस्त मानचित्र नगर पंचायत द्वारा अनुज्ञापित व्यक्ति/ड्रॉफट मैन/मानचित्रकार अथवा अवर अभियन्ता द्वारा तैयार किये जायेगें।

सूचनायें एवं दस्तावेज– भवन निर्माण हेतु आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे–

2– भूखण्ड के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति।

3– आवेदक के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति या रजिस्ट्रीकृत विलेख।

4– कोई अन्य दस्तावेज जिसकी नगर पंचायत द्वारा मांग की जाये।

भवन निर्माण हेतु अनिवार्यतायें अनुज्ञा से छूट–

(क)– सामान्य निर्माण अपेक्षाओं, संरचना की स्थिरता और नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं विषयक उपविधियों का उल्लंघन न होने पर निम्नलिखित कार्य के लिए भवन निर्माण अनुज्ञा आवश्यक नही होगी, परन्तु विद्यमान भवन का पुनर्निर्माण, परिवर्तन एवं परिवर्धन जिसमें संरचानात्मक परिवर्तन यथा–कालम, बीम का निर्माण, नई लोड बियरिंग दीवार का निर्माण, नई स्लैब डालना, आदि निहित हो, में नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा का पालन अनिवार्य होगा–

1– ऐसे खिड़की या दरवाजे या रोशनदान का खोलना अथवा बन्द करना, जो किसी दूसरे की सम्पत्ति की ओर न खेलते हों।

2– आन्तरिक संचालन हेतु दरवाजे की प्राविधान।

3– न्यूनतम मापदण्डों का उल्लंघन न होने पर आन्तरिक विभाजन।

4– बागवानी।

5– सफेदी करना।

6– रंगाई करना।

7– पूर्व स्वीकृत आच्छादन पर पुनः टाईल्स लगाना।

8– पुनः फर्श निर्माण।

9– प्लास्टर करना या प्लास्टर की आंशिक मरम्मत।

10– अपनी भूमि पर 0.75 मीटर चौड़े सनशेड का निर्माण।

11– भवन उपविधियों में प्राविधानित मानकों के अनुसार पोर्टिकों/पोर्च का निर्माण।

12– सैप्टिक टैंक/सोक पिट का निर्माण।

13– हैण्ड पम्प लगाना।

14– निर्माण कार्य हेतु अस्थाई वाटर टैंक का निर्माण।

15– प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुए भवन को उस सीमा तक जिस सीमा तक नष्ट होने से पूर्व निर्माण था, का पुननिर्माण।

16– वर्षा जल के संचयन, संरक्षण एवं हार्वेस्टिंग हेतु आवश्यक संरचनाओं (भूमिगत वाटर टैंक सहित) का निर्माण।

17– वैकल्पिक सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाओं का निर्माण।

(ख)– नगर के पुरानें एवं निर्मित क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर आवासीय भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा

कि उसमें भवन उपविधि व अधिनियम के अनुसार सैट-बैक छोड़े गये है एवं निर्माण तीन मंजिल से अधिक न हो तथा अनाधिकृत रूप से विभाजित न हो।

निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना– अनुज्ञा के अधीन निर्माण प्रारम्भ करने पर उसकी सूचना नगर पंचायत द्वारा निधारित प्रारूप पर दी जायेगी।

संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों के समीप निर्माण की अनुज्ञा–

1– पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों की सीमा से 100 मीटर की परिधि के अन्दर निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी तथा इसके पश्चात् 200 मीटर तक के क्षेत्र में किसी भी निर्माण हेतु पुरातत्व विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी।

2– संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक अभिकल्पन की धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों/भवनों के आस-पास विकास/निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु नगर पंचायत समुचित शर्ते एवं प्रतिबन्ध निर्धारित कर सकती है।

विभिन्न भवनों के निर्माण हेतु अपेक्षायें–

1– होटल निर्माण हेतु अपेक्षायें–

भूखण्ड का क्षेत्रफल–

1– भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो आवासीय तथा गैर आवासीय तथा गैर आवासीय क्षेत्रों में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

2– आवासीय क्षेत्र में अधिकतम तीन स्टार तक का होटल अनुमन्य होगा।

3– स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में इससे कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भी होटल का निर्माण अनुमन्य होगा।

सैट-बैक– 10.5 मीटर तक उॅचाई के भवनों के लिए सामने 9 मीटर, पीछे 3 मीटर तथा पार्श्व में 3-3 मीटर सैट-बैक होगा।

अनुज्ञा की प्रक्रिया– आवासीय क्षेत्रों में होटल के निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमन्त्रित किये जायेंगे एवं उनके निस्तारण के उपरान्त स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन-पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– नर्सिग होम के निर्माण हेतु अपेक्षायें–

अनुमन्यता– आवासीय एवं गैर आवासीय उपयोग में नर्सिंग होम की अनुमन्यता के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल– आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर जो न्यूनतम 12 मीटर चौडे विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा तथा जिसका न्यूनतम फ्रन्टेज 12 मीटर होगा।

शैय्याओं की संख्या– भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अधिकतम अनुमन्य शैय्याओं की संख्या निम्न तालिका के अनुसार होंगी–

क्र0 सं0	भूखण्ड का क्षेत्र	शैय्याओं की संख्या
1	2	3
	वर्ग मीटर–	
1–	300–400	10
2–	401–500	15
3–	500 से अधिक	20

अनुज्ञा की प्रक्रिया– आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम के निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमन्त्रित किये जायेंगे एवं उनके निस्तारण के उपरान्त स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रभाव शुल्क– आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम अनुमन्य किये जाने पर 'प्रभाव शुल्क' (Impact Fee) लिया जायेगा जिसका निर्धारण समय-समय पर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

अन्य अपेक्षायें–

1– मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स-1998 अथवा अन्य प्रभावी नियमों की अपेक्षानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2– नर्सिंग होम में संक्रामक रोगों एवं छुआछूत सम्बन्धी बीमारियों का इलाज नही किया जायेगा।

3– फार्म हाउस के निमार्ण हेतु अपेक्षायें–

प्रयोजन– कृषि एवं बागबानी, सुअर पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य पशु पालन इत्यादि।

भूखण्ड का क्षेत्रफल– न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर (5000 वर्ग मीटर)

ऊँचाई का प्रतिबन्ध– फार्म हाउस एक मंजिला होगा। स्थाई/अस्थाई निर्माण की अधिकतम ऊँचाई भूतल से 5.0 मीटर होगी।

सडकें–

1– फार्म हाउस के लिए पहुँच मार्ग की विद्यमान चौडाई न्यूनतम 9 मीटर होगी, जिसमें कम से कम 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग 'पक्का' होगा।

2– यदि पहुँच मार्ग एक से अधिक फार्मो के लिए हो, तो पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।

3– फार्म हाउस के अन्दर के मार्गो की चौड़ाई कम से कम 3.5 मीटर होगी जिससे फार्म हाउस के अन्दर स्थित विभिन्न भवनों को पहुँच मिल सके।

वृक्षारोपण– भूखण्ड के 50 प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण होगा जिसमें कम से कम 100 वृक्ष प्रति हेक्टेयर लगाये जायेंगे।

विद्युत तथा अन्य सेवायें– फार्म हाउस में बिजली, पानी की आपूर्ति तथा जल निकासी का प्रबन्ध भू-स्वामी द्वारा स्वयं किया जाएगा।

सेप्टिक टैंक– कुएं इत्यादि से सेप्टिक टैंक 15 मीटर दुरी पर होगा जिसमें भूमिगत जल प्रदूषित न हो। चारदीवारी से यह टैंक 4.5 मीटर दूरी पर होगा।

4– पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अपेक्षायें–

प्रयोज्यता– पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन हेतु अनुमन्य भू-आच्छादन के अन्तर्गत ग्राहकों की सुविधा के लिए अधिकतम 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 'कियास्क' (वाणिज्यिक उपयोग) अनुमन्य होगा।

1– पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन तथा फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

2– प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन हेतु न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मीटर होगा।

3– पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन के भूखण्ड के निकट किसी प्रकार का ऐसा अवरोध नही होगा जिससे कि क्षेत्रीय मार्ग पर वाहनों का आवागमन पेट्रोल फिलिंग स्टेशन क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाले एवं बाहर निकलने वाले वाहनों का स्पष्ट रूप से दृष्टिगत न हो सके।

4– प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गो की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर होगी।

5– क्षेत्रीय मार्ग एवं पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन के मध्य बफर स्ट्रिप की प्राविधान आवश्यक है, जो कम से कम 12 मीटर लम्बी एवं 3 मीटर चौड़ी होगी तथा सेट-बैक के अतिरिक्त होगी।

6– नियमानुसार अग्निशमन प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।

7– अन्य प्राविधान जो भारतीय पेट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिव अधिनियम द्वारा वांछित हों, लागू होगें।

5– एल0पी0जी0 गैस गोदाम हेतु अपेक्षायें–

पहुॅच मार्ग– स्थल हेतु विद्यमान पहुॅच मार्ग न्यूनतम 18 मीटर चौड़ा होगा।

क्षेत्रफल– भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा।

सेट बैक– गैस गोदाम हेतु भू-खण्ड के चारों ओर 6.0 मीटर सेट-बैक होगा।

भवन की ऊॅचाई– गैस गोदाम की न्यूनतम ऊॅचाई 6 मीटर होगी तथा इसके ऊपर कोई निर्माण अनुमन्य नही होगा।

संवातन– तल क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्र संवातन हेतु खिड़कियों तथा वेन्टीलेटर्स, आदि के रूप में होगा।

अन्य अपेक्षायें–

1– गैस गोदाम अज्वलनशील सामग्री से निर्मित होंगे।

2– गैस गोदाम के निर्माण हेतु स्थानीय अग्निशमन विभाग तथा मुख्य नियन्त्रक, विस्फोटक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6–डेरीफार्म के निर्माण हेतु अपेक्षायें–

पहुॅच मार्ग– डेरी फार्म के लिए मुख्य मार्ग (राष्ट्रीय उच्च मार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग) से पहुॅच मार्ग की सुविधा न्यूनतम 9 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग से उपलब्ध होगी।

भूखण्ड का क्षेत्रफल तथा सैट-बैक– डेरी फार्म हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर होगा। पशुओं की संख्या के आधार पर भूखण्ड का क्षेत्रफल व सैट-बैक निम्न तालिका के अनुसार होंगें–

पशुओं की संख्या	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	चारों ओर सैट बैक
1	2	3
	वर्ग मीटर–	वर्ग मीटर–
25	2000	6
50	4000	9
100	7000	10
200	15000	10

1– भूखण्ड का न्यूनतम फ्रन्टेज 25 मीटर होगा।

2– पशुओं की संख्या 200 से अधिक होने पर प्रति 10 पशुओं पर 100 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूखण्ड क्षेत्रफल का प्राविधान आवश्यक होगा।

3– आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत कैटिल शेड, पशु चारे एवं भूसे का संग्रहण, दुग्ध संग्रहण एवं संरक्षण, दुग्ध विक्रय केन्द्र, पहरा-चौकी एवं पशुओं के रख-रखाव हेतु अनिवार्य कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा तथा चिकित्सा एवं प्रजनन सुविधा, अन्य अनुषांगिक क्रियाओं से सम्बन्धित निर्माण अनुमन्य होंगे।

भवन की ऊॅचाई– भवन की अधिकतम ऊॅचाई दो मंजिल (7.5 मीटर) होगी।

वृक्षारोपण– भूखण्ड के 50 प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण होगा जिसमें कम से कम 100 वृक्ष प्रति हेक्टेयर लगाये जायेगें।

ड्रेनेज तथा गोबर एवं कूड़ा-निस्तारण– डेरी फार्म से निस्तारण स्थल तक ड्रेनेज की उचित व्यवस्था की जायेगी तथा गोबर एवं 'इफलुएंट' का उत्सारण गोबर संयत्र, सेप्टिक टैंक, कम्पोस्ट पिट अथवा अन्य उपयुक्त तकनीक के माध्यम से उपचारित करने के उपरान्त किया जायेगा।

अन्य अपेक्षायें– डेरी फार्म हेतु अन्य अपेक्षाओं तथा कैटिल शेड का आकार, चारा संग्रहण, दुग्ध संग्रहण/संरक्षण/भण्डारण की व्यवस्था, प्रबन्ध कार्यालय, पशु चिकित्सा एवं प्रजनन सुविधायें, कर्मचारी आवास की

व्यवस्था, तालाब, गोबर गैस संयन्त्र, आदि का प्राविधान नेशलन डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट के मानकों के अनुसार किया जायेगा।

7– 'बारात घर'/'उत्सव भवन' के निर्माण हेतु अपेक्षायें–

भूखण्ड का क्षेत्रफल– न्यूनतम 1500 वर्गमीटर।

भूखण्ड का फ्रन्टेज– न्यूनतम 24 मीटर।

सड़क की विद्यमान चौड़ाई– न्यूनतम 24 मीटर।

अनुज्ञा की प्रक्रिया– बारात घर/उत्सव भवन हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यम से आमन्त्रित किये जायेगे, एवं उनके निस्तारण के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति /निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा बारात घर/उत्सव भवन अनुमन्य किये जाने पर आवेदक से रु0 25,000 का प्रभाव शुल्क भी लिया जायेगा। नवनिर्मित बारात घर को अनुज्ञा प्रदान हेतु पार्किंग व्यवस्था का प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

8–शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) के निर्माण हेतु अपेक्षायें–

भूखण्ड का क्षेत्रफल– भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर होगा जिसका न्यूनतम फ्रन्टेज 25.0 मीटर होगा तथा जो न्यूनतम 18.0 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

बाउन्ड्रीवाल की मुख्य मार्ग से दूरी– कोल्ड स्टोरेज की बाउन्ड्रीवाल राष्ट्रीय मार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग की मध्य रेखा से न्यूनतम 45 मीटर तथा जनपदीय मार्ग/महायोजना मार्ग के मध्य से न्यूनतम 22.5 मीटर की दूरी पर होगी।

अन्य अपेक्षायें– कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु उद्यान विभाग के अनुज्ञा-पत्र के साथ-साथ निम्न विभागों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करने होंगे–

1– अग्निशमन विभाग।

2– लोक निर्माण विभाग।

9– अतिथि गृह के निर्माण हेतु अपेक्षायें–

भूखण्ड का क्षेत्रफल– अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर होना आवश्यक है।

पहुँच मार्ग– अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 18.0 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

पार्किंग व्यवस्था– प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर न्यूनतम एक कार पार्किंग का प्राविधान किया जाना होगा। पार्किंग व्यवस्था हेतु अधिकतम दो बेसमेन्ट का निर्माण बिल्डिंग इन्वेलप तक इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की संरचनात्मक सुरक्षा (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) सुनिश्चित करते हुए बगल की सम्पत्तियों से न्यूनतम 2.00 मीटर की दूरी पर अनुमन्य होगा। बेसमेन्ट में आवास हेतु कोई कमरा/कम्पार्टमेन्ट, आदि सृजित नही किया जायेगा और यह केवल पार्किंग व्यवस्था, स्टोरेज एवं जनरेटर, इत्यादि स्थापित करने के प्रयोग में ही लया जायेगा। जनरेटर ईको-फ्रेन्डली/साइलेन्ट प्रकृति का होगा।

अन्य अपेक्षायें–

1– अतिथि गृह केवल पर्यटकों/यात्रियों के ही निवास हेतु उपयोग में लाया जायेगा तथा इसमें कोई भी वाणिज्यिक उपयोग/क्रिया यथा–विवाह, जन्मदिन, कान्फ्रेन्स, इत्यादि जैसे कार्यक्रम आयोजित नही किये जायेंगे।

2– निर्मित होन वाले भवन में नगर पंचायत की प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024 तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार संरचनात्मक सुरक्षा हेतु नियमानुसार भूकम्परोधी निर्माण, अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थायें रूफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा लैण्डस्केपिंग के प्राविधान सुनिश्चित किये जायेगें।

प्रभाव शुल्क– आवासीय भू-उपयोग में अतिथि गृह/बारात घर का निर्माण अनुमन्य किये जाने पर आवेदक द्वारा रु0 10,000 का प्रभाव शुल्क देय होगा।

जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन– जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन सिस्टम की प्लानिंग, डिजाइन, निर्माण एवं इन्स्टालेशन नेशलन बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2005 के पार्ट-9 सेक्शन-1 में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। रसोई, गेस्ट हाउस स्टाफ, विजिटर्स, इत्यादि की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जलापूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता का वाटर स्टोरेज अपेक्षित होगा।

10– आवासीय क्षेत्र में ए0टी0एम0 के निर्माण हेतु अपेक्षायें–

अनुमन्यता– आवासीय भू-उपयोग में ए0टी0एम0 का निर्माण न्यूनतम 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड के भूखण्ड पर अनुमन्य होगा।

प्रभाव शुल्क– वाणिज्यिक एवं कार्यालय उपयोग से भिन्न भू-उपयोगों में ए0टी0एम0 का निर्माण अनुमन्य किये जाने पर आवेदक द्वारा रु0 5,000 प्रभाव शुल्क देय होगा।

अन्य अपेक्षायें–

1– ए0टी0एम0 की अनुज्ञा दिये जाते समय कोने के भूखण्डों को वरीयता दी जायेगी।

2– निर्मित भवनों में ए0टी0एम0 की अनुज्ञा प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार ही विद्यमान भवन निर्मित हुआ हो।

11– सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना हेतु अपेक्षायें–

प्रयोज्यता– निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा–

1– अस्पताल तथा नर्सिंग होम,

2– होटल,

3– अतिथि गृह,

4– विश्राम गृह,

5– छात्रावास,

6– महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/प्राविधिक संस्थायें/प्रशिक्षण केन्द्र,

7– सशस्त्र बल/अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक,

8– सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के उपयोग के अन्य भवन।

निर्माण अनुज्ञा– उक्त प्रकृति के भवनों में निर्माण अनुज्ञा तभी देय हागी जबकि भवन के डिजाइन में छत से विभिन्न वितरण स्थलों तक, जहॉ गर्म पानी की आवश्यकता हो, तापरोधक पाइपों का प्राविधान हो एवं भवन की छत पर सोलर वाटर हीटर संयन्त्र हेतु उपयुक्त स्थान हो। छत की लोड बियरिंग क्षमता न्यूनतम 50 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए तथा भवन की छत पर संयन्त्र की स्थापना हेतु खुला स्थान उपलब्ध होना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी सीधे प्राप्त हो सके।

संयन्त्र की क्षमता एवं मानदण्ड– स्नानगार एवं रसोईघर हेतु सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म करने के संयन्त्र की न्यूनतम क्षमता 25 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति होनी चाहिए बशर्ते छत का अधिकतम 50 प्रतिशत भाग ही सौर ऊर्जा संयन्त्र के उपयोग में लाया गया हो।

विशिष्टियॉ– सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र एवं प्रणाली ''ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड'' (B.I.S.) विशिष्टि I.S. 12933 के अनुरूप होनी चाहिए तथा जहॉ कहीं भी जब लगातार गर्म पानी की आवश्यकता हो, तो वहॉ सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ पानी गर्म करने हेतु बिजली अथवा अन्य व्यवस्था का प्राविधान किया जा सकता है।

छज्जे का निर्माण– भवन निर्माण के साथ 1.5 फीट तक छज्जा निकालना अनुमन्य होगा।

नगर पंचायत की अनुमति से 1.5 फीट तक छज्जा निकाला जा सकता है। इससे अधिक छज्जा नगर पंचायत की लिखित अनुमति से अधिकतम तीन फीट तक निकाला जा सकता है, जिसके लिए रु0 3,000 का मुस्त निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। उक्त शुल्क में 5 वर्ष पश्चात स्वतः ही 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी। पूर्व में निर्मित भवन अथवा इस उपविधि के लागू होने के पश्चात नव निर्मित भवनों में छज्जा निर्माण से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में अधिशासी अधिकारी की निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

अग्नि सुरक्षा की अपेक्षायें–

विद्यमान भवन– अग्निशमन सुरक्षा की परिधि में आने वाले ऐसे भवन जो उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के लागू होने की तिथि अर्थात 24 जनवरी, 2005 के पूर्व के निर्मित हो, विद्यमान भवन मानें जायेगे। अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्यमान भवनों को चिन्हीकृत कर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जायेगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/शमनित ऐसे भवन जिनमें अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया गया था और जो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अपंक्षाओं के अनुसार स्वीकृत है–

अग्नि सुरक्षा हेतु इन भवनों में तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार लगायी गयी शर्तो का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त रिस्क एवं केस-टु-केस के आधार पर निम्नांकित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की जायेगी–

1– पहुॅच मार्ग

2– पानी की स्थायी टंकी, भूमिगत/उपरी

3– स्वचालित स्प्रिंलिर पद्धति

4– फर्स्ट ऐड होज रील्स

5– भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्ह युक्त अग्निशामक

6– कम्पार्टमेन्टलाइजेशन

7– स्वचालित अग्नि संसुचन और चेतावनी पद्धति/हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति

8– सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था

9– निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह

10– विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्त्रोत

11– फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट

12– वेट राइजर डाउन कार्नर सिस्टम

13– सेट-बैक

14– निकास की आवश्यकतायें एवं फायर एक्केप

15– फायर ड्रिल

16– अग्निशमन पद्धति का अनुसरण

17– अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिए स्टाफ/प्रशिक्षण

18– निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल

19– सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा

20– विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्नि शोधन का सावधि नवीनीकरण

पुराने निर्मित ऐसे भवन जिनके मानचित्र स्वीकृत नही है– ऐसे भवनों में पहुॅच मार्ग, सेट-बैक तथा फायर एस्केप का प्राविधान अनिवार्य नही होगा, परन्तु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अन्य 17 अपेक्षायें केस-टु-केस आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

नयें भवन–

1– नवनिर्मित होने वाले भवन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के भाग-3 व 4 की अपेक्षानुसार अग्नि से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियोजित, अभिकल्पित और निर्मित होगें तथा इन भवनों में उ0प्र0 अग्नि निवारण और और अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-4 की अपेक्षानुसार अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

2– चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक उॅचें भवनो और विशिष्ट भवन यथा–शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो, की अनुज्ञा के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

सक्षम अधिकारी– इस उपविधि को लागू कराने हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा। इस उपविधि में प्रावधानित किसी भी शर्त अथवा प्रावधान को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

संशोधन– इस उपविधि में संशोधन नगर पंचायत बोर्ड के एक तिहायी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव अथवा अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय के अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा।

निरसण– इस उपनियमावली के लागू होने के पश्चात निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेगें।

दण्ड– यदि कोई भी व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निर्माण अगर नियमानुसार निर्मित है तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाइसेन्सधारी नक्शा नफीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा तथा नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को समझौता शुल्क आवासीय हेतु रु0 1,000/– व्यवसायिक हेतु रु0 2,000/– लेकर नियमित कर सकेगा।

जितेन्द्र राणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत थानाभवन,
जनपद शामली।

कार्यालय, नगर पंचायत, रूधौली बाजार, जनपद बस्ती

05 मार्च, 2024 ई0

सं0 1388/न0पं0रू0बा0/2023–24–एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर विकास, अनुभाग 01 के अधिसूचना संख्या 5491/9–1–2013–47टी/12 दिनांक 08 जनवरी 2014 द्वारा जनपद बस्ती में नगर पंचायत रूधौली बाजार के सृजन सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गयी है। अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत रूधौली, बाजार में क्रमषः रूधौली खुद, निपनिया खुद, बनगवॉ, कैडिया, रूधौली कला, गिधार, सेखुई खुद, विषुनपुरवा, थरौली, मुडियार तथा बनकट बैषाखा ग्राम सभाओं को सम्मलित किया गया है। इन ग्राम सभाओं भवन निर्माण हेतु नगर पंचायत रूधौली बाजार द्वारा संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (क) के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत रूधौली, बाजार जनपद बस्ती की वित्तीय स्थिति सुदृढ किये जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित भवन निर्माण निर्धारण करने हेतु नगर पंचायत रूधौली बाजार की भवन निर्माण सम्बन्धी उपविधि का प्रकाषन दो दैनिक समाचार-पत्र (अमर उजाला व अनुराग लक्ष्य) दिनांक 12 मार्च, 2024 को प्रकाषन कराते हुये सर्वसाधारण से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव प्राप्त मांगा गया था। समयावधि समाप्त होने तक कोई भी आपत्ति/सुक्षाव प्राप्त नहीं हुआ है, तत्क्रम में भवन निर्माण सम्बन्धी उपविधि नियमावली–2024 अन्तिम रूप से प्रकाषित करायी जा रही है। जो सरकारी गजट में प्रकाषित होने की तिथि से स्वतः प्रभावी मानी जायेगी।

उपनियम

01 – यह उप नियम सरकारी गजट में प्रकाषन उपरान्त प्रभावी माना जायेगा।

02 – उपनियम में निम्नलिखित को नियत परिभाषा समझा जायेगा–

(क)– भवन – **"भवन"** से तार्त्पय हर प्रकार के निर्माण से होगा चाहे वह किसी भी प्रकार के लिये किया गया हो जिससे इमारत, मकान, दुकान, दीवार, चबूतरा, नाली के ऊपर पुलिया, दरवाजा, पाखाना, फर्ष, छत, रोषनदान, खिड़की, आलमारी किसी जगह के चहरदीवारी, किसी जगह की नीव भरना, जीना बनाना, कुऑ, नल, छज्जा, लिन्टर, बरामदा, स्कूल, मन्दिर, मसजिद, गिरजाघर आदि धार्मिक इमारत, पक्की खाई आदि सम्मलित है।

(ख)– परिवर्तन – **"भवन की परिभाषा" में** आने वाले निर्माण के बाहरी या भीतरी परिवर्तन चाहे वह किसी भी कार्य के लिये किया गया हो , परिवर्तन की परिभाषा में आयेगा।

(ग)– "अधिषासी अधिकारी" का तार्त्पय नगर पंचायत रूधौली, बाजार के अधिषासी अधिकारी से है।

(घ)– "प्रषासक" या "अध्यक्ष" से तार्त्पय नगर पंचायत रूधौली, बाजार के अध्यक्ष से है।

(च)– "एक्ट" का तार्त्पय यू0पी0 म्यूनिसिपैलटीज एक्ट 1916 से है।

(छ)– "धारा" का तार्त्पय यू0पी0 म्यूनिसिपैलटीज एक्ट 1916 की धारा 298 की उपधारा (क) से है।

(ज)– "नगर पंचायत" का तार्त्पय नगर पंचायत, रूधौली, बाजार, जनपद बस्ती से है।

03–यदि किसी व्यक्ति द्वारा नगर पचायत रूधौली बाजार की सीमा के अर्न्तगत कोई भवन निर्माण या उसका कोई भाग बनायेगा या परिवर्तन करेगा तो वह नगर पंचायत स्धौली, बाजार के कार्यालय में कोई भी निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व अपना प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित प्रारूप पर प्रस्तुत करेगा

(क) – आवेदक/प्रार्थी का नाम .....

(ख) – पिता/पति का नाम (जैसी स्थिति हो) .....

(ग) – भवन/इमारत जहॉ बनवानी हो उस मुहल्ले का नाम , मकान नम्बर तथा चौहद्दी .....

(घ) – जहॉ इमारत/भवन बनायी जायेगी उस स्थान से सार्वजनिक रास्ता है .....

(च) – निर्माण होने वाले स्थल के सामने कितना चौड़ा सार्वजनिक रास्ता है .....

(छ) – इमारत/भवन निर्माण के पष्चात कितना चौड़ा सार्वजनिक रास्ता रहा है .....

(ज) – क्या सार्वजनिक स्थान या रास्ते पर किसी प्रकार के तिक्रमण करने का विचार तो नही है ...

(य) – जिस भूखण्ड पर भवन/इमारत का निर्माण किया जाना है ,

का भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र जैसे खतौनी आदि .....

(र) – इस आसय का नोटरी षपथ-पत्र कि भवन/इमारत

का निर्माण अपने भूमि पर किया जा रहा है और यदि

नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत मानचित्र के इतर भवन/

इमारत का निर्माण नही किया जायेगा तथा मानचित्र के स्वीकृति उपरान्त निर्माण किया जायेगा .....

04 – धारा तीन के अधीन दिये गये आवेदन-पत्र पर आवेदक से निम्नलिखित दर से षुल्क लिया जायेगा। बिना षुल्क जमा किये किसी भी आवेदन-पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा।

क्र0 सं0	भवन/भूखण्ड का प्रकार	भूतल प्रति वर्ग फिट रु0 में	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फिट रु0 में
01	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	10.00	05.00
02	निवासीय भवन (ओपेन एरिया)	06.00	03.00
03	व्यवासायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	20.00	10.00
04	व्यवासायिक भवन दुकान (ओपेन एरिया)	15.00	08.00
05	वर्कषाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (कवर्ड एरिया)	30.00	15.00
06	वर्कषाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपेन एरिया)	20.00	10.00
07	भूखण्ड/प्लाटिंग एरिया	10.00	00.00
08	मनचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क रु0 5,000.00 या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम देय होगा।		
09	प्लाटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर भी शुल्क देय होगा।		

(क) – भवन स्वामी/आवेदक द्वारा नगर पंचायत रूधौली, बाजार में भवन/इमारत के निर्माण हेतु मानचित्र पास कराने सम्बन्धी पंजीयन षुल्क के रूप में रु0 500.00 जमा करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र पंजीकृत किया जायेगा।

(ख) – कच्चे भवन का मानचित्र तथा फार्म/आवेदन के पंजीयन का षुल्क रु0 100.00 जमा करने के उपरान्त ही पंजीकृत किया जायेगा।

(ग) – भवन/इमारत एक मंजिला का मानचित्र के निरीक्षण सम्बन्धी षुल्क 04(क) के अतिरिक्त रु0 2,000.00 जमा करना होगा।

(घ) – भवन/इमारत दो मंजिला का मानचित्र के निरीक्षण सम्बन्धी षुल्क 04(क) के अतिरिक्त रु0 4,000.00 जमा करना होगा।

(च) – भवन/इमारत के केवल ऊपरी मंजिला की आज्ञा के लिये मानचित्र के निरीक्षण सम्बन्धी षुल्क 04(क) के अतिरिक्त रु0 2,000.00 जमा करना होगा।

(छ) – इमारत/भवन में मरम्मत हेतु 04(क) के अतिरिक्त रु0 1,000.00 जमा करना होगा।

(द) – यदि व्यवसायिक भवन/दुकान के निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है तो 04(क) के अतिरिक्त व्यवसायिक दर पर षुल्क जमा करना होगा। जिसका निर्धारण का अधिकार अवर अभियन्ता व अधिषासी अधिकारी में निहित होगा।

नोट–फार्म पंजीयन षुल्क फार्म प्राप्ति के समय ही करना होगा तथा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित मानचित्र एवं निरीक्षण व उससे सम्बन्धित समस्त षुल्क एक मुस्त नगर पंचायत रूधौली, बाजार के कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। नगर पंचायत रूधौली, बाजार के सीमान्तर्गत कराये जा रहे निर्माण/मरम्मत कराये जाने वाले भवन/इमारत के मानचित्र के स्वीकृति का अधिकारी अधिषासी अधिकारी नगर पंचायत रूधौली, बाजार का होगा । साथ ही किसी भवन/इमारत का निर्माण या मरम्मत बिना नगर पंचायत रूधौली, बाजार के अनुमति उपरान्त ही बिधिमान्य होगा। अन्यथा की दषा में नियमानुसार 10 गुना अर्थ दण्ड प्रविधानित करते हुये अर्थ दण्ड रोपित किया जायेगा जिसे भवन स्वामी को अर्थ दण्ड के रूप में जमा करना होगा।

5–(01) धारा-03 तथा 04 के अधीन कार्यवाही पूर्ण होने के बाद नगर पंचायत रूधौली, बाजार के अधिषासी अधिकारी के द्वारा मानचित्र के जॉच हेतु अवर अभियन्ता को सात दिवस के अन्दर स्थलीय सत्यापन कर अपनी निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का निर्देष जारी करेगा। अवर अभियन्ता अपनी निरीक्षण आख्या सहित मूल आवदेन-पत्र सहित नगर पंचायत रूधौली, बाजार के कार्यालय को वापस प्राप्त करेगा।

(क) इस प्रकार अवर अभियन्ता द्वारा जॉच आख्या के उपरान्त नक्षा निर्माण लिपिक को आख्या लिये अधिषासी अधिकारी नगर पंचायत रूधौली, बाजार के आदेष से भेजा जायेगा। जिसके अनुपालन में निर्माण लिपिक द्वारा अवर अभियन्ता की जॉच आख्या के आलोक में अपनी आख्या सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिषासी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(ख) अधिषासी अधिकारी द्वारा अवर अभियन्ता व निर्माण लिपिक की आख्या के उपरान्त यदि आवष्यक समझेगा तो संयुक्त रूप में स्थलीय निरीक्षण करते हुये अपनी आख्या सहित प्रषासक/अध्यक्ष के पास भेजेगा।

(ग) यदि प्रषासक व अध्यक्ष उक्त कार्यवाही से सन्तुष्ट है तथा उनके द्वारा स्वयं भी मौके का निरीक्षण करके प्रसतावित मानचित्र को यथा संषोधन या यथावत् स्वीकृति हेतु बोर्ड की बैठक में स्वीकृति हेतु रख सकते हैं या यदि वह चाहें तो स्वयं अपने आदेष से स्वीकृत हेतु अथवा अस्वीकृति के समबन्ध में आदेष पारित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में अन्तिम आदेष प्रषासक/अध्यक्ष का मान्य होगा।

(घ) स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति प्रार्थना-पत्र फार्म सहित नगर पंचायत के कार्यालय में रख ली जायेगी तथा दूसरी प्रति पर आदेष कर सम्बन्धित व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा।

6–भवनों के निर्माण, पुनः निर्माण/मरम्मत की आज्ञा निमनलिखित नियमों के अधीन प्रदान की जायेगी

(क) भवन के फर्ष नाली से कम से कम 03 फुट ऊंचाई पर होनें चाहिये ताकि भवनों का पानी सार्वजनिक नाली में आसानी से जा सके।

(ख) सार्वजनिक नाली में छत से गिरने वाले पानी के लिये डाउन पाइप लगाया जायेगा जो अनिवार्य होगा किसी खस्सी या पतनाले की कोई आज्ञा नही दी जायेगी।

(ग) भवन में स्थित षौचालय की सफाई की समुचित व्यवस्था ही होनी चाहिये और यदि कोई गृह स्वामी बाहर नगर पंचायत सड़क पर षौचालय बनाने की अनुमति मांगता है तो उसे अनुमति प्रदान नही की जायेगी । यदि ऐसा पायेगा तो उसे ध्वस्त करने का अधिकार नगर पंचायत में निहित होगा।

7—यह किसी मन्दिर, मसजिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि धार्मिक भवनों के निर्माण की आज्ञा पर कोई षुल्क नही लिया जायेगा। परन्तु ऐसी संस्था द्वारा यदि कोई व्यवसायिक भवन/दुकान आदि का निर्माण किया जायेगा तो इस उपनियम की धारा-03 व 04 के अधीन षुल्क जमा व आवेदन-पत्र देना होगा

8—चल चित्र/सिनेमा गृह की इमारतों के बनानें के लिये लोक निर्माण विभाग की सड़क के किनारे मकान बनाने के लिये अभ्यर्थी को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तथा इस प्रकृति के मानचित्र हेतु आवेदन किये जाने पर इस उपनियम की धारा-03 व 04 के अधीन षुल्क जमा व आवेदन-पत्र देना होगा।

9—प्रार्थना-पत्र के साथ स्वीकृति हेतु दिये मानचित्र में यदि अध्यक्ष चाहे तो लाल स्याही से संषोधन कर सकते हैं तथा इस प्रकार के संषोधन के अनुसार भवन स्वामी/आवेदक को भवन का निर्माण करना होगा।

10—यदि कोई अभ्यर्थी/भवन स्वामी धारा-09 के अधीन किये गये संषोधन से क्षुब्ध है तो वह इसकी अपील नगर पंचायत बोर्ड को कर सकता है। जिस पर बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा

11—नियम 05 तथा 02 के अर्न्तगत दी गयी स्वीकृति केवल 06 माह के लिये मान्य होगी। यदि कोई व्यक्ति/भवन स्वामी इससे आगे की स्वीकृति लेना चाहता है तो उसे पुनः नगर पंचायत से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा ऐसी स्थिति में उपरोक्त धारा में उल्लिखित फीस का आधा षुल्क जमा करना होगा

12—निर्माण कार्य प्रारम्भ तथा पूर्ण करने की सूचना अभ्यर्थी/भवन स्वामी को नगर पंचायत में देना अनिवार्य होगा।

13—कोई व्यक्ति/भवन स्वामी यदि अपने मकान के आगे आने जाने के लिये गली, सड़क, नाली को छजवाना चाहता है तो इसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

14—भवन निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली दस वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी तथा समय व्यतीत होने के उपरान्त नष्ट कर दी जायेगी।

15—भवन सवामी को अपने मकान/इमारत/व्यवसायिक भवन/माल का निर्माण तभी प्रारम्भ करना होगा जबकि उसे उकत उपविधियों के अनुसार मानचित्र की स्वीकृति मिल गयी हो, अन्यथा उत्तर प्रदेष नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-186 तथा 211 के अधीन नगर पंचायत को अधिकार प्राप्त होगा कि वह किये गये कार्य को हटवा दे या ध्वस्त करा दें।

16—अगर कोई भवन स्वामी नाली पर अथवा नगर पंचायत की भूमि/जगह के ऊपर 12 फिट की छत की ऊचाई पर लिंटर/छज्जा निकालेगा तो उसे अलग से नगर पंचायत के स्वीकृति उपरान्त 0.50 पैसा वर्ग फिट की दर से प्रोजेक्षन फीस अतिरिक्त देना होगा। उस प्रकार का छज्जा 03 फिट से अधिक निकालने की बिल्कुल आज्ञा नही दी जायेगी तथा प्रति वर्ष रु0 3.00 वर्ग फिट की दर से किराया नगर पंचायत को जमा करना होगा।

17—यदि नगर पंचायत ऐसा लगेगा कि छज्जा निकालना वैध नही है तो इसकी आज्ञा नगर पंचायत द्वारा नही दिया जायेगा। इस पर किसी भवन स्वामी कोई आपत्ति नही होगी। अवैध तरीके से लगाये गये छज्जे को ध्वस्त करने का अधिकार नगर पंचायत में निहित होगा।

18—भवन स्वामी को आवेदन-पत्र के साथ-साथ स्वामित्व का भी अभिलेख मानचित्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । अन्यथा भवन मानचित्र सम्बन्धी आवेदन-पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा।

19—यदि कोई भवन स्वामी बिना नगर पंचायत के स्वीकृति प्राप्त किये भवन का निर्माण करते हुये पाया जायेगा तो नगर पंचायत को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित भवन स्वामी से उपनियमों के अधीन कम से कम 05

गुना या अधिकतम् 20 गुना कम्पाउन्ड अर्थ दण्ड रोपित करते हुये नियमानुसार नगर पंचायत के कोष में जमा कराते हुये अग्रिम कार्यवाही पर विचार करेगी।

20–भवन स्वामी को अपने भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र नगर पंचायत रूधौली, में पंजीकृत ड्राफ्टमैन से बनवाना अनिवार्य होगा। नगर पंचायत रूधौली, में पंजीकृत ड्राफ्टमैन के अतिरिक्त किसी ड्राफ्टमैन द्वारा तैयार किया गया मानचित्र वैध नही माना जायेगा।

21–भवन निर्माण का मानक पहले मंजिल की ऊचाई अर्थात् फर्ष से 12 फिट दूसरी मंजिल ऊचाई फर्ष से 12 फिट होगी। प्रस्तावित मानचित्र में खिड़की, रोषनदान, लैट्रीन, सीढ़ी, दरवाजा तथा जल कनकासी व आवागमन को सुलभ रहने की सभी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये मानचित्र स्वीकृति हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

दण्ड

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-185, 299(1) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत रूधौली, बाजार यह निर्देष देती है कि जो व्यक्ति उपरोक्त नियमों के विपरीत आचरण करेगा या आचरण करते हुये पाया जायेगा या किसी को प्रोत्सहित करेगा या प्रोत्साहन देगा या बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देषों के विपरीत कार्य करेगा तो उस पर रु0 1,000.00 अर्थ दण्ड रोपित किया जा सकता है।

(धीरसेन)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत
रूधौली, बाजार, बस्ती

कार्यालय नगर पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी

27 मार्च, 2025, ई0

सं0 636/न0प0अमेठी/2025–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी में यह उपविधि विविधकर (शुल्क)/लाईसेसिंग उपविधि नियमावली, 2024 बनाई गई है। उपविधि एवं नियमावली को दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 05 जनवरी, 2025 को एवं राष्ट्रीय सहारा के अमेठी अंक दिनांक 04 जनवरी, 2025 को आपत्तियॉ/सुझाव हेतु प्रकाशन कराया गया, निर्धारित अवधि दिनांक 20 जनवरी, 2025 तक प्राप्त कुल 05 आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया गया। उक्त प्रस्तावित विविधकर (शुल्क)/लाईसेसिंग उपविधि नियमावली, 2024 को अन्तिम मानते हुए उपविधि/नियमावली को उ0प्र0 राजपत्र गजट के उपरान्त लागू मानी जाये।

विविधकर (शुल्क)/लाईसेसिंग उपविधि नियमावली, 2024

1– संक्षिप्त नाम प्रकार एवं प्रारम्भ–

1– यह ''विविधकर (शुल्क)/लाईसेसिंग उपविधि नियमावली, 2024'' कहलायेगी।

2– यह नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी की वर्तमान सीमा या भविष्य में होने वाली सीमा/नगर पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी के नियंत्रणाधीन या भविष्य में होने वाले क्षेत्र में प्रवृत्त होगी।

3– यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी के उपरोक्त क्षेत्र में प्रभावी होगी।

2– परिभाषायें– उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जायेगा–

1– अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

2– ''नगर पंचायत '' का तात्पर्य नगर पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी से है।

3– अध्यक्ष/प्रशासक'' का तात्पर्य नगर पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

4– अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी के अधिशासी अधिकारी से है।

5– लाईसेंसिंग अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी के अधिशासी अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी से है।

6– कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक'' का तात्पर्य नगर पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी के अधिकृत कर्मचारी से है।

3– विधिक कर शुल्क की दरें–

1– प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 100.00 (सौ रुपया मात्र) प्रति प्रमाण-पत्र।

2– पत्रावली/अभिलेखों/दस्तावजों के निरीक्षण एवं उनकी नकल शुल्क रु0 100.00 (सौ रुपया मात्र) प्रति प्रकरण।

4– अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण/नामान्तरण पर शुल्क–

1– वरासत/न्यायालय निर्णय/दान-पत्र के आधार पर नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया मात्र) ।

2– रजिस्टर्ड वसीयत प्रचलित मान्य मालियत का 0.50 प्रतिशत (दशमलव पॉच प्रतिशत)

3– रजिस्टर्ड बैनामा नामान्तरण शुल्क प्रचलित मान्य मालियत का 01 प्रतिशत।

4– उपरोक्त समस्त प्रकरणों में 60 दिन के अन्दर तत्काल नामान्तरण करवाना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में रु0 50.00 (पचास रुपया मात्र) प्रतिदिन विलम्ब शुल्क देय होगा।

5– सड़क, नाला, नाली, तालाब/अन्य जल स्त्रोतों या सार्वजनिक स्थल पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया मात्र) प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 5,000.00 (पॉच हजार रुपया मात्र) प्रति प्रकरण।

6– डोर-ट-डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु शुल्क रु0 80.00 (अस्सी रुपया मात्र) प्रति माह (प्रति आवासीय भवन)/रु0 150.00 (एक सौ पचास रुपया मात्र) प्रति माह (प्रति व्यवसायिक भवन)/शॉपिंग काम्पलेक्स/मेगा मार्ट रु0 1,000.00 प्रति काम्पलेक्स/मेगा मार्ट

7– नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया मात्र) प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पर रु0 5,000.00 (पॉच हजार रुपया मात्र) प्रति व्यक्ति।

8– सड़क के किनारे (पटरी एवं नाली) पर जानवर बांधने एवं अतिक्रमण करने पर रु0 1,000.00 (रुपया एक हजार मात्र) जुर्माना प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति होने पर रु0 5,000.00 (रुपया पॉच हजार मात्र) जुर्माना प्रति प्रकरण।

9– सड़क के किनारें अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर–

1– जुर्माना शुल्क रु0 500.00 (रुपया पॉच सौ मात्र) प्रति दिन प्रति प्रकरण 20 वर्ग फुट तक।

2– 20 वर्ग फुट से अधिक होने होने पर रु0 1,000.00 (रुपया एक हजार मात्र) प्रतिदिन प्रति प्रकरण देय होगा।

अन्यथा की स्थिति में सरकारी सम्पत्ति पर अवैध अतिक्रमण किये जाने सम्बन्धित सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी।

10– नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला, नाली, सड़क, तालाब, अन्य सार्वजनिक/निकाय की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर सामान जब्त करते हुए पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 (रुपया एक हजार मात्र) तथा पुनरावृत्ति करने पर शुल्क रु0 5,000.00 (रुपया पॉच हजार मात्र) प्रति प्रकरण।

11– वाटर टैंकर किराया/शुल्क (नगर पंचायत सीमा में) घरेलू/सार्वजनिक कार्य हेतु शुल्क रु0 850.00 (रुपया आठ सौ मात्र) प्रति टैंकर/प्रति चक्कर (08 घण्टे हेतु)/व्यावसायिक कार्य हेतु शुल्क रु0 1,000.00 (रुपया एक हजार) प्रति टैंकर/प्रति चक्कर (08 घण्टे हेतु) एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर रु0 100.00 (रुपया एक सौ मात्र) प्रति कि0मी0 अलग से देय होगा।

12– जे0सी0बी0 मशीन किराया शुल्क रु0 1,200.00 (रुपया एक हजार दो सौ मात्र) प्रति घण्टा तथा नगर पंचायत सीमा क्षेत्र के बाहर रु0 100.00 (रुपया एक सौ मात्र) प्रति कि0मी0 अलग से देय होगा।

13– नगर पंचायत के मोबाइल टॉयलेट किराया शुल्क रु0 2,000.00 (रुपया दो हजार मात्र) प्रति दिन (08 घण्टे हेतु) तथा नगर पंचायत सीमा क्षेत्र के बाहर रु0 100.00 (रुपया एक सौ मात्र) प्रति कि0मी0 अलग से देय होगा।

14– नगर पंचायत सीमान्तर्गत सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु सीवर सक्शन मशीन किराया रु0 3,500.00 (रुपया तीन हजार पॉच सौ मात्रं) प्रति तीन चक्कर न्यूनतम शुल्क देय होगा। नगर पंचायत सीमा क्षेत्र से बाहर जाने पर रु0 100.00 (रुपया एक सौ मात्र) प्रति कि0मी0 अलग से देय होगा।

15– नगर पंचायत के आवास विकास स्थित बारात घर का किराया रु0 10,000.00 (रुपया दस हजार मात्र) प्रति कार्यक्रम/प्रतिदिन।

1– उक्त के अतिरिक्त जमानत धनराशि रु0 5,000.00 (रुपया पॉच हजार मात्र) प्रति कार्यक्रम प्रतिदिन देय होगी जो की सम्पत्ति को किसी भी क्षति ना होने की दशा में कार्यक्रम के समाप्ति के पश्चात सम्बन्धित पटल प्रभारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने के उपरान्त न्यूनतम सात दिनों के बाद वापस की जायेगी तथा क्षति की दशा में क्षति का आकलन करते हुए क्षतिपूर्ति जमानत धनराशि से करते हुए (यदि शेष धनराशि बचती है तो) शेष धनराशि वापस की जायेगी।

2– आवेदक द्वारा किसी भी बुकिंग को निरस्त किये जाने हेतु निम्नानुसार कटौती करते हुए अवशेष राशि वापस की जायेगी–

i- कार्यक्रम आयोजन के 30 दिन पूर्व तक बुकिंग राशि का 10 प्रतिशत।

ii- कार्यक्रम/आयोजन के 30 दिन से 10 दिन पूर्व तक बुकिंग राशि का 25 प्रतिशत।

iii- कार्यक्रम/आयोजन के 10 दिन से 24 घण्टे पूर्व तक बुकिंग राशि का 50 प्रतिशत।

iv- किसी भी बुकिंग को निरस्त किये जाने हेतु न्यूनतम 24 घण्टे पूर्व नगर पंचायत को सूचित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में कोई भी राशि वापस नही की जायेगी।

v- किसी भी सरकारी कार्यक्रम की स्थिति में 24 घण्टे पूर्व बुकिंग को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण धनराशि वापस की जायेगी।

vi- बुकिंग पूर्णतया अहस्तान्तरणीय होगी। किसी भी दशा में निकाय की अनुमति के बगैर बुकिंग में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। संज्ञान में आने पर जमानत धनराशि जब्त करते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।

16– पैलेस/विवाह घर/गेस्ट हाउस/रामलीला मैदान इत्यादि पर स्वच्छता शुल्क रु0 1,000.00 (रुपया एक हजार मात्र) प्रतिदिन/प्रति कार्यक्रम। नगर पंचायत को सूचना न देने पर तथा कचड़ा इधर-उधर फेंकने पर रु0 5,000.00 (रुपया पॉच हजार मात्र) का जुर्माना देय होगा। पुनरावृत्ति पर रु0 10,000.00 (रुपया दस हजार मात्र) जुर्माना देय होगा।

17– नगर पंचायत की सीमा के अन्दर रोड कटिंग हेतु नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसका शुल्क रु0 500.00 (रुपया पाच सौ मात्र) प्रति वर्ग फिट होगा। सूचना न देने की दशा में सामान जब्त करते हुए रु0 20,000.00 (रुपया बीस हजार मात्र) का जुर्माना लगाया जायेगा।

18– नगर पंचायत की दुकानों की किरायेदारी में नाम परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जायेगा–

1– नामान्तरण/वरासतन (मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक उत्तराधिकारी) प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार नियत मालियत का 25% प्रीमियम धनराशि जमा करना होगा तथा 60 दिन के अन्दर नाम परिवर्तन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में रु0 50.00 (रुपया पचास मात्र) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

2– नगर पंचायत दुकानों की किरायेदारी में प्रति 02 वर्ष में 10% वृद्धि की जायेगी।

3– नगर पंचायत दुकानों के निर्माण/पुनर्निर्माण में पूर्व आकार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। पर्यवेक्षण शुल्क नगर पंचायत कोष में रु0 10,000.00 (रुपया दस हजार मात्र) जमा करने के उपरान्त नगर पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी तथा किराये में 50% वृद्धि की जायेगी।

19– कान्हा गौशाला में बन्द किये गये निजी पशु पालकों के गोवंश/जानवर छुड़ाने पर रु0 500.00 (रुपया पॉच सौ मात्र) प्रतिदिन प्रति गोवंश/जानवर जुर्माना/शुल्क देय होगा।

20– नगर पंचायत की सीमान्तगर्त स्थित विविध लाईसेसिंग शुल्क (एक वित्तीय वर्ष के लिए) निम्न प्रकार से देय होगा।

क्रम सं0	व्यवसाय का प्रकार	शुल्क
1	2	3
		रुपये–
1	लाण्ड्री/ड्राई क्लीनर	700.00
2	पैथोलॉजी सेण्टर	5,000.00
3	कबाड़ दुकान	500.00
4	पेन्ट की दुकान	1,500.00
5	कपड़ा व्यापारी थोक	5,000.00
6	कपड़ा व्यापारी फुटकर	3,000.00
7	ज्वैलर्स शोरुम	5,000.00
8	ज्वैलर्स दुकान	3,000.00
9	किताब/स्टेशनरी	1,000.00
10	रेस्टोरेन्ट (वातानुकूलित)	10,000.00
11	रेस्टोरेन्ट (गैर वातानुकूलित)	5,000.00
12	पेट्रोल पम्प	10,000.00
13	कॅम्प्यूटर संस्थानो/कोचिंग/स्कूल/लाईब्रेरी	2,000.00
14	01 कक्ष क्लीनिक	5,000.00
15	01 कक्ष से अधिक अस्पताल	15,000.00

1	2	3
		रुपये–
16	गेस्ट हाउस/विवाह घर/पैलेस	10,000.00
17	टावर शुल्क	10,000.00
18	टेन्ट हाउस	2,000.00
19	चाय नाश्ता की स्थाई दुकान	1,000.00
20	ट्रान्सफार्मर स्थाई	5,000.00
21	ट्रान्सफार्मर (पोल पर अधिष्ठापित)	1,000.00
22	मॉस विक्रेता	5,000.00
23	मेडिकल स्टोर	5,000.00
24	बियर की दुकान	10,000.00
25	देशी शराब	8,000.00
26	विदेशी शराब	10,000.00
27	सीवर सैक्शन मशीन संचालक	10,000.00
28	डिश एण्टीना/वाई फाई	10,000.00

21– प्रत्येक ठेकेदारी कार्य के लिए निविदा शुल्क निविदा का 0.25 (दशमलव दो पॉच मात्र) प्रतिशत देय होगा।

22– आवास विकास कालोनी–

i- आवास विकास कालोनी में स्थित भूखण्डों के मूल्य का निर्धारण प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार किया जायेगा।

ii- सभी भू-खण्ड/भवन 30 वर्ष के पट्टे पर दिये गये हैं तथा भूमिकर भूमि के निर्धारित मूल्य का 0.10 (दशमलव एक शून्य) प्रतिशत वार्षिक होगा, व तीस वर्ष पट्टे के पूर्ण होने के उपरान्त नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा। भू-खण्ड के नवीनीकरण के समय निर्धारित दर का 10 (दस) प्रतिशत नगर पंचायत कोष में जमा कराना होगा।

iii- पांच वर्ष के अन्दर अनुमोदित नक्शे के अनुसार भू-खण्ड पर भवन निर्माण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि में भू-खण्ड पर निर्माण कार्य नहीं कराता है तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को उस भू-खण्ड को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

iv- सुल्तानपुर मार्ग आवासीय योजना के नियमावली के अन्तर्गत ही हस्तान्तरण किया जायेगा।

v- भू-खण्ड/भवन के हस्तान्तरणकर्ता को हस्तान्तरण के समय प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार भू-खण्ड के निर्धारित मूल्य का 20 (बीस) प्रतिशत की धनराशि नगर पंचायत कोष में जमा करना होगा।

23– **दुकान किराया**–नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी में विभिन्न योजनान्तर्गत आवंटित दुकानों का किराया निम्नवत संशोधित किया जाता है–

विद्यमान किराया	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किराया
1	2
रुपया प्रतिमाह	रुपया प्रतिमाह
90.00	270.00
100.00	300.00
120.00	360.00
144.00	432.00
150.00	450.00
160.00	480.00
170.00	510.00
175.00	525.00
180.00	540.00
200.00	600.00
220.00	660.00
250.00	750.00
320.00	960.00
375.00	1,125.00

i- उपरोक्त दुकानों के किराये प्रत्येक दो वर्षों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

24– टैक्सी स्टैण्ड (पार्किंग शुल्क)–

वाहन प्रकार	विद्यमान वाहन दर	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित वाहन दर
1	2	3
	रु0	रु0
05 सीटर तक	15.00–20.00	30.00
08 सीटर तक	25.00	50.00
12 सीटर तक	35.00	70.00
20 सीटर तक	45.00	90.00
40 सीटर तक	55.00	100.00
60 सीटर तक	65.00	150.00
स्लीपर बस	–	200.00

कोई वाहन जो सवारी बैठाता/उतारता है उचित शुल्क देय होगा।

25– भवन मानचित्र/नक्शा स्वीकृति (विनियमित क्षेत्र तहसील से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु)

i- आवासीय भवन– रु0 10.00 (दस रुपया मात्र) प्रति वर्ग फुट (कवर्ड एरिया)

ii- व्यावसायिक भवन– रु0 25.00 (पचीस रुपया मात्र) प्रतिवर्ग फुट (कवर्ड एरिया)

26– अन्य किसी प्रकरण मे अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति द्वारा जुर्माने की राशि तय करके अधिरोपित किया जाएगा ।

27– समस्त जुर्माने की राशि को 07 दिवस के भीतर नगर पंचायत के कोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निकाय द्वारा 16 प्रतिशत अर्थदण्ड सहित वसूली करने का अधिकार नगर पंचायत अमेठी में निहित होगा।

28– जुर्माने/बकाये की राशि 45 दिवस के अन्दर न जमा करने की स्थिति में नगर पंचायत द्वारा भू-राजस्व के बकाये की भॉति/सक्षम न्यायालय के माध्यम से वसूल कराने का अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा।

29– नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी द्वारा जारी किये जाने वाले लाईसेन्स जिसकी वैधता 01 वित्तीय वर्ष होगी। उक्त लाईसेन्स फीस में प्रत्येक 02 वर्ष में 10 प्रतिशत स्वतः मानी जायेगी।

नगर पंचायत की उपरोक्त दरों को समय-समय पर संशोधित करनें का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पचांयत अमेठी,
जनपद अमेठी।

कार्यालय, नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद-शामली

31 जनवरी, 2025 ई0

सं0 1489/न0पं0ज0बाद/2024-25–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद-शामली द्वारा आहूत बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2024 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में '' अपराध, दण्ड एवं शमन उपविधि 2024'' बनायी गयी है। प्रस्तावित '' अपराध, दण्ड एवं शमन उपविधि 2024'' को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916 की धारा-301 के अन्तर्गत अपेक्षा अनुसार सभी नगर वासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से नगर पंचायत जलालाबाद कार्यालय के पत्रांक सं0-1433/न0पं0ज0बाद/आ0द0 एवं शमन0 उप0/2024-25 दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 द्वारा प्रस्तावित ''अपराध, दण्ड एवं शमन उपविधि 2024'' का प्रकाशन दैनिक जागरण एंव पश्चिमी प्रान्त में दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 में कराते हुए 30 दिन के भीतर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नियत अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत जलालाबाद कार्यालय में प्राप्त नही हुए। नगर पालिका अधिनियम, 1916 के निहित प्राविधानों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त ''अपराध, दण्ड एवं शमन उपविधि 2024'' शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

''नगर पंचायत जलालाबाद, अपराध, दण्ड एवं शमन उपविधि 2024''

शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद-शामली में **''अपराध, दण्ड एवं शमन उपविधि 2024''**कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1– संक्षिप्त नाम एवं प्रसार–

1– यह उपविधि नगर पंचायत जलालाबाद अपराध, दण्ड एवं शमन उपविधि 2024 कहलायेगी।

2– यह उपविधि नगर पंचायत जलालाबाद की सीमा के अन्दर किये गये ऐसे सभी आपराधिक कृत्यों पर लागू होती है जो कि नगर पालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्रावधानों अथवा इस उपविधि का उल्लंधन कर किये गये हों।

3– यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

2– परिभाषायें–

1– अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

2– नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत जलालाबाद से है।

3– अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत जलालाबाद के अधिशासी अधिकारी से है।

4– अध्यक्ष/प्रशासक से तात्पर्य नगर पंचायत जलालाबाद के अध्यक्ष या प्रशासक से है।

5– आपराधिक कृत्य से तात्पर्य किसी भी ऐसे कृत्य से है जो कि नगरपालिका अधिनियम, 1916 अथवा इस उपविधि का उल्लंघन कर किया गया है।

6– 'दण्ड' से तात्पर्य आपराधिक कृत्य होने पर लगने वाला जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही से है।

7– 'शमन' से तात्पर्य आपराधिक दण्ड को पूर्णत या आंशिक रूप से माफ अथवा कम करने से है।

3– आपराधिक कृत्य के प्रकार एवं दण्ड–

1– भवन स्वामी द्वारा भवन के संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने के लिए बाध्यता– जब किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार किया जाए, तो भवन स्वामी द्वारा ऐसे भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, या विस्तार पूरा हो जाने के दिनांक से, अथवा ऐसे भवन के अध्यासन के दिनांक से, उसमें से जो भी दिनांक पहले हो 15 दिन के भीतर नगर पंचायत को उसकी नोटिस देगा। ऐसा न करने पर वह दण्ड का भागी होगा, जो की 1,000.00 रु0 अथवा ऐसे निर्माण या विस्तार पर तीन मास के लिए देय कर की 10 गुना धनराशि तक, इसमें जो भी अधिक हो, हो सकता है।

2– खाली भवन के पुनः अध्यासन की रिपोर्ट करने की बाध्यता– यदि किसी भवन या भूमि के स्वामी द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-151 के अधीन कर में छूट देने या उसकी वापसी के लिए आवेदन किया गया हो, या ऐसी छूट दे दी गयी हो या वापस कर दिया गया हो, तो उसका स्वामी ऐसे भवन या भूमि के पुनः अध्यासन करने के 15 दिन के भीतर नगर पंचायत को एक लिखित नोटिस देगा। ऐसा न करने पर वह दण्ड का भागी होगा जो कि रु0 1,000.00 अथवा उस कर की धनराशि के, जो ऐसे भवन या भूमि पर उस अवधि के लिए देय हो, उस कर की धनराशि के दस गुने तक, इसमें जो भी अधिक हो, हो सकता है।

3– **किसी नाली का अवैध निर्माण या परिवर्तन–** यदि कोई व्यक्ति नगर पंचायत की लिखित अनुज्ञा के बिना या बनायी गयी किसी उपविधि का या किसी ऐसे निर्देश अथवा शर्त का उल्लंघन करके अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली को नगर पंचायत क्षेत्र में निहित नाली के साथ जोड़े, या जुड़वाये या उसमें परिवर्तन करें, तो वह दोष सिद्ध ठहराये जाने पर दण्ड का भागी होगा जो कि रु0 1,000.00 तथा अपराध जारी रखने की दशा में रु0 100.00 प्रतिदिन हो सकेगा।

विशेष उपबंध– नगर पंचायत लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह इस प्रकार जोड़ी गयी नाली को बन्द कर दें या फिर से बनवा दें या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य कार्यवाही करें, जिसे वह उचित समझे।

4– मार्ग का अवैध निर्माण– यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-204 के अधीन अपेक्षित नोटिस दिये बिना या धारा-205 के अधीन नगर पंचायत द्वारा दिये गये लिखित निर्देश या किसी उपविधि या नगर पालिका अधिनियम, 1916 के किसी उपबंध का उल्लंघन करके किसी मार्ग का विन्यास या निर्माण आरम्भ करता है अथवा उसे जारी रखता है या पूरा करता है तो वह जुर्माने का भागी होगा जो कि रु0 5,000.00 तक हो सकेगा तथा अपराध जारी रखने की दशा में नगर पंचायत उस व्यक्ति पर रु0 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड आरोपित कर सकेगी। नगर पंचायत को बिना स्वीकृति के बने ऐसे मार्ग को परिवर्तित कर देने अथवा तोड़ देने का भी पूर्ण अधिकार होगा।

5– वृक्षो की कटाई-छटाई से पूर्व अनुमति न लेना– कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो किसी पेड़ को, न ही उसकी किसी शाखा को काटेगा, इसमें विफल रहने पर वह दण्ड का भागी होगा जो कि 500.00 रु0 तथा अपराध जारी रखने की दशा में रु0 100.00 प्रतिदिन होगा।

विशेष उपबंध– यदि नगर पंचायत द्वारा जनहित अथवा शासकीय हित में किसी पेड़ या उसकी शाखा को काटा जाता है तो वह वैध होगा।

6– मार्गों की मरम्मत इत्यादि के दौरान किये गये प्रबंध में हस्तक्षेप– यदि किसी व्यक्ति द्वारा नगर पंचायत के प्राधिकार या सम्मति के बिना, किसी सार्वजनिक मार्ग या किसी जल-कल, नाली या परिसर जो उसमें निहित हो, निर्माण या मरम्मत के दौरान या जब कभी उसमें निहित कोई सार्वजनिक मार्ग, जल-कल, नाली या परिसर की मरम्मत न होने के कारण या अन्यथा सार्वजनिक उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाये, नगर पंचायत द्वारा किये गये किसी प्रबंध या निर्माण कार्य में दुर्घटना से बचाव के किसी कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें, तो वह दोष सिद्ध ठहराये जाने पर दण्ड का भागी होगा जो कि रु0 5,000.00 तक हो सकेगा तथा अपराध निरन्तर जारी रखने पर रु0 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड का भागी होगा।

7– किसी नाली या जल-कल के उपर अनाधिकृत निर्माण करना या पेड़ लगाना– यदि किसी व्यक्ति द्वारा नगर पंचायत की लिखित अनुमति के बिना नगर पंचायत क्षेत्र में निहित किसी सार्वजनिक नाली या पुलिया या किसी जल-कल के उपर कोई मार्ग बनाया गया हो तो नगर पंचायत एक लिखित नोटिस देकर उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उक्त मार्ग, संरचना या पेड़ को हटा ले या अन्य प्रकार से ऐसी कार्यवाही करे जिसे नगर पंचायत ठीक समझे। यदि नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी उक्त व्यक्ति अपेक्षित कार्यवाही करने में विफल रहता है तो वह व्यक्ति दण्ड का भागी होगा जो कि रु0 1,000.00 तक हो सकेगा। यदि अर्थदण्ड के पश्चात् भी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती है तो नगर पंचायत उक्त मार्ग, संरचना या पेड़ को स्वयं हटा सकेगी, या उसके सम्बन्ध में अन्य प्रकार से कोई ऐसी कार्यवाही कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे। ऐसी किसी भी कार्यवाही पर नगर पंचायत द्वारा उपगत व्यय नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय 6 में विहित रीति से उस व्यक्ति से जिसने मार्ग बनाया हो, संरचना या निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो, वसूल किया जा सकेगा।

8– सार्वजनिक स्थलों पर गाड़ियों या पशुओं का पड़ाव– यदि किसी व्यक्ति द्वारा नगर पंचायत में निहित किसी भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान या सड़क पर नगर पंचायत की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी गाड़ी या पशु के पड़ाव स्थल या घेरा डालने के स्थान के रूप में उपयोग किया जाये, तो उस पर रु0 5,000.00 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा उल्लंघन जारी रहने की दशा में अग्रेतर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात्, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी का बारम्बार अपराध किया जाना सिद्ध हो, रु0 500.00 तक हो सकेगा।

9– अन्य आपराधिक कृत्य एवं दण्ड– नगर पंचायत लोकहित में जनसुरक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता के दृष्टिगत निम्नलिखित आपराधिक कृत्यों के लिए भी दण्ड का प्रावधान करती है–

क्र0 सं0	**कृत्य**	**नगर पंचायत द्वारा आरोपित धनराशि**
1	**2**	**3**
		रु0 प्रतिदिन
1–	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	500.00
2–	दुकानदारों द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	500.00
3–	रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	1,000.00
4–	होटल मालिकों द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	2,000.00
5–	बारात घर, गेस्ट हाउस, बैंकट हॉल द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	2,500.00
6–	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	5,000.00
7–	अपने भवन, दुकानों पर नीले एवं हरे रंग के ढ़क्कनदार कूड़ेदान न रखने तथा गीले, सूखे तथा खतरनाक घरेलू कचरे को अलग-अलग एकत्रित न करने पर अर्थदण्ड।	500.00
8–	हलवाई, चाट-पकौड़ी, फॉस्ट-फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस एवं फल, सब्जी विक्रेता आदि व्यवसायियों द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	500.00
9–	डेरी मालिकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फेकना अथवा नाला/नालियों में बहाने पर अर्थदण्ड।	1,000.00
10–	डेरी मालिकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों/नाले/नालियों पर अवैध अतिक्रमण करने पर अर्थदण्ड।	1,000.00
11–	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, सामग्री, ईट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर, सरकारी भूमि, सार्वजनिक मार्गों/स्थल पर डालने पर अर्थदण्ड।	1,000.00

1	2	3
		रु0 प्रतिदिन
12–	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुये नगर पंचायत की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरनें व गन्दगी फैलाने पर अर्थदण्ड।	1,000.00
13–	सरकारी भवनों, चौराहों, तिराहों, सरकारी कार्यालयों की दिवारों व उनके गेट, सरकारी विद्युत पोल पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, स्लोगन लिखकर सरकारी दिवारें, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करनें व बैनर्स लगाने पर उस संस्था अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर) अर्थदण्ड।	2,000.00
14–	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृती के रोड कटिंग करने पर तथा नाला/नाली को तोड़ने एवं क्षतिग्रस्त करने पर अर्थदण्ड।	5,000.00 तथा मरम्मत चार्ज अतिरिक्त होगा।
15–	अपने भवन का सेप्टिक टैंक न होने/जल प्रवाहित शौचालय न बनवाकर गन्दगी को नाली में खुले रूप में बहाने पर तथा भवन में सेप्टिक टैंक/जल प्रवाहित शौचालय होने पर भी उसे तोड़कर उसका पानी/गन्दगी को नाली में खुले में बहाने पर अर्थदण्ड।	3,000.00
16–	बिना नगर पंचायत की लिखित अनुमति के सार्वजनिक सड़क में गड्डा बनाकर सेप्टिक टैंक बनाने अथवा पूर्व में सड़क में बनाये गये सेप्टिक टैंक को बन्द करने की अपेक्षा के साथ निर्गत नोटिस पर कोई कार्यवाही ना करने पर अर्थदण्ड।	3,000.00 प्रतिदिन व टैंक को बन्द कराने में आने वाली लागत की वसूली।
17–	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर ऑटो मोबाइल, ट्रैक्टर व साइकिल, बड़े वाहनों की रिपेरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने एवं सड़क पर बाधा पहुंचाने हेतु अर्थदण्ड।	1,000.00
18–	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियों, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डे के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर अर्थदण्ड।	1,000.00
19–	मुर्गे, मछली, अण्डे की पकौड़ी बनाकर बेचने वाले दुकानदार द्वारा मॉस एवं हड्डियों मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डे के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर अर्थदण्ड।	1,000.00

1	2	3
		रु0 प्रतिदिन
20–	सार्वजनिक मार्ग, चौराहों व भवनों, दुकानों आदि के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्तें, भेड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर सम्बन्धित पशु की स्वामी से अर्थदण्ड। **विशेष उपबंध**– पालतू जानवरों के खुले घुमते पाये जाने पर उनको नगर पंचायत जलालाबाद द्वारा पकड़वाकर नगर पंचायत जलालाबाद के कांजी हाउस में बन्द किया जायेगा, जिनको निर्धारित जुर्माना देकर 7 दिन के अन्दर छुड़ाया जा सकेगा। 7 दिन तक न छुड़ाने पर उक्त जानवर को जब्त कर नीलाम किया जायेगा।	1,500.00 प्रति जानवर प्रतिदिन
21–	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा सार्वजनिक भूमि, मार्ग, सड़क, नाला/नाली इत्यादि में गन्दगी बाल इत्यादि डालने पर अर्थदण्ड।	500.00
22–	दुकानदारों अथवा व्यसायियों द्वारा सार्वजनिक मार्ग, चौराहों, सड़क अथवा दुकानों के सामने के खाली जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर अर्थदण्ड।	5,000.00
23–	सार्वजनिक मार्ग, सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढ़ाबा, होटल आदि चलाकर गन्दगी फैलाने पर अर्थदण्ड।	3,000.00
24–	विभिन्न चिकित्सकीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब इत्यादि के जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर अर्थदण्ड।	5,000.00
25–	सड़क किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाड़ीयों की धुलाई करने पर अर्थदण्ड।	1,000.00 तथा पानी का कनेक्शन काटने पर चार्ज अतिरिक्त होगा।
26–	सड़क किनारे, फुटपाथ, रेलवे लाइन किनारें, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि में खुले में शौच करने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
27–	सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालयों में धुम्रपान, मद्यपान करने पर अर्थदण्ड।	500.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
28–	अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कूड़ादान (डस्टबीन) न रखने पर अर्थदण्ड।	500.00
29–	मानक रहित पॉलीथीन में कूड़ा एकत्रित करने पर अर्थदण्ड।	1,000.00

1	2	3
		रु0 प्रतिदिन
30–	सड़क किनारे, फुटपाथ, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि, सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालयों की दिवारों पर थूकने, तम्बाकू पान आदि की पीक थूकने पर अर्थदण्ड।	500.00
31–	सार्वजनिक नाले, नालियों, स्थानों पर स्लैब/स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण करने तथा अवैध प्रक्षेप (छज्जा, टीनशेड आदि) डालने पर अर्थदण्ड। **विशेष उपबंध**– नगर पंचायत को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह ऐसे अवैध अतिक्रमण को हटवा दें तथा इसमें होने वाली लागत को सम्बन्धित व्यक्ति से नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय 6 में दी गयी रीति से वसूल कर लें।	5,000.00
32–	नगर पंचायत की सम्पत्ति, शासकीय सम्पत्तियों, भवनों, दुकानों आदि को क्षति पहुॅचानें एवं नगर पंचायत की बिना अनुमति के उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण/परिवर्तन करने पर अर्थदण्ड।	5,000.00
33–	नोन वेंडिग जोन में ठेला, ठेली, फड़ इत्यादि लगाकर व्यवसाय करने पर अर्थदण्ड।	500.00
34–	नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक मार्गों/सार्वजनिक स्थलों/निजी सम्पत्तियों आदि पर कूड़ा, प्लास्टिक की वस्तुयें, तार, पॉलीथीन आदि जलाकर वायु में प्रदूषण करने पर अर्थदण्ड।	5,000.00
35–	बिना नगर पंचायत की लिखित अनुमति के नगर पंचायत की पाइप लाइनों से जल संयोजन लेना, पाइप लाइनों में छेड़-छाड़ करना/क्षति पहुॅचानें पर अर्थदण्ड।	2,000.00
36–	नगर पंचायत की सीमान्तर्गत अपने भवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को किराये पर रखना, जिसकी जॉच-पड़ताल सक्षम अधिकारी द्वारा न की गयी हो एवं किरायेदार की सूचना नगर पंचायत को न देने पर अर्थदण्ड।	500.00
37–	सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक सम्पत्तियों/मार्गों/पार्कों पर लगे पेड़-पौधों को नुकसान पहुॅचाने पर अर्थदण्ड।	2,000.00
38–	नगर पंचायत की सीमान्तर्गत उचित प्रकाश के बिना सड़क पर किसी वाहन को चलाने पर अर्थदण्ड।	200.00
39–	नगर पंचायत की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ज्वलनशील सामग्री का ढ़ेर लगाने, पटाखों का सग्रह अथवा बिक्री करने, तेजाब रखने इत्यादि पर अर्थदण्ड।	5,000.00
40–	नगर पंचायत की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवासीय क्षेत्रों में सुअर पालन, मुर्गी पालन, डेरी व्यवसाय आदि कार्य करने पर अर्थदण्ड।	5,000.00

1	2	3
		रु0 प्रतिदिन
41–	नगर पंचायत की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निजी जल संचयन स्त्रोत जैसे टिल्लू पम्प, जेड पम्प, समरसेबिल पम्प लगाने पर अर्थदण्ड।	5,000.00
	विशेष उपबंध– नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्य को रूकवाकर निर्माण सामग्री/ मशीनरी को जब्त किया जा सकता है।	
42–	नगर पंचायत की सीमान्तर्गत लकड़ी की टाल लगाकर सार्वजनिक मार्गों, स्थलों आदि पर अतिक्रमण करने पर अर्थदण्ड।	100.00
43–	10X10 वर्ग फीट की फड़ का भूमि किराया धारा-127 के अन्तर्गत।	100.00

10– शमन– इस उपविधि के अन्तर्गत लगाये गये किसी भी दण्ड को पूर्णतः या आंशिक रूप से शमन करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा जो, कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

11– सक्षम प्राधिकारी– इस उपविधि को लागू कराने हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा।

12– निरसन– इस उपविधि के लागू होने के पश्चात् निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त नियम, उपनियम एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

13– दण्ड–

1– जो भी व्यक्ति इस उपविधि के किसी भी प्रावधान का उलंघन करता है तो उपरोक्तानुसार दण्ड का भागी होगा। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर जुर्माना नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्य-6 में दी गयी रीति से वसूला जायेगा।

2– जुर्माना अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा वसूला जायेगा।

जितेन्द्र राणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत जलालाबाद,
जनपद-शामली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रत्यक्ष पाण्डेय पुत्र करन पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3381 4346 1410 में उसका नाम प्रत्युश पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रत्यक्ष पाण्डेय पुत्र करन पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

करन पाण्डेय,
पता–एम0एम0डी0–3 ए0डी0ए0,
कालोनी, नैनी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रद्धा SHRADHA पुत्री दयानन्द शुक्ल है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–5684 1713 2392 में उसका नाम श्रद्धा SRADHA अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रद्धा SHRADHA पुत्री दयानन्द शुक्ल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दयानन्द शुक्ल,
पता–गिरगोठा साजी,
कोरांव प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बिमला देवी पाण्डेय पत्नी स्व0 कमला प्रसाद पाण्डेय है जो मेरे निर्वाचन कार्ड तथा मेरे पति के सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में तथा उपजिलाधिकारी कुण्डा प्रतापगढ़ द्वारा जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–9457 0833 5599 में मेरा नाम विमला देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बिमला देवी पाण्डेय पत्नी स्व0 कमला प्रसाद पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बिमला देवी पाण्डेय,
पत्नी स्व0 कमला प्रसाद पाण्डेय,
पता– माँ वैष्णों नगर/कालोनी कबरियागंज,
कुण्डा, प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन गुप्ता पुत्र गोविन्द कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–9838 7691 0038 में उसका नाम वेदांत गुप्ता अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यन गुप्ता पुत्र गोविन्द कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गोविन्द कुमार,
पुत्र श्री रवि शंकर लाल,
निवासी–39, राधापुरम् कोयला नगर,
किदवई नगर, कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कृति सिंह (KRITI SINGH) पुत्री विजय सिंह है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0– 9688 5194 8119 में मेरा नाम कीर्ति सिंह (KIRTI SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कृति (KRITI SINGH) पुत्री विजय सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कृति सिंह (KRITI SINGH),
पुत्री विजय सिंह,
नि0–डी 59/365, जय प्रकाश नगर,
माधोपुर, वाराणसी उ0प्र0।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ओम ट्रान्सपोर्ट पता–202 ए, विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर से पंजीकृत है। यह कि 6 साझेदार–श्री अशीष कुमार, श्रीमती अनीता जयसवाल, श्री आयुष जयसवाल, श्री नान्हू राम जयसवाल, श्री मो0 ओमर, एवं श्री हुमायूँ शोएब, साझेदार थे। दिनांक 12 अप्रैल, 2025 को एक नयी

साझेदारी बनी जिसमें श्री नान्हू राम जयसवाल, श्री मो0 ओमर, एवं श्री हुमायूँ शोएब, अपनी सहमती से फर्म की साझेदारी से निकल रहे है तथा इसी तिथि से फर्म पता परिवर्तन हो कर नया पता– 16/4 विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर 261001 हो गया है वर्तमान में 03 साझेदार क्रमशः श्री आशीष कुमार श्रीमती अनीता जयसवाल एवं श्री आयुष जयसवाल, साझेदार है। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नही है।

अशीष कुमार,
साझेदार,
मेसर्स–ओम ट्रान्सपोर्ट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जाग्रव आदित्य गुप्ता पुत्र हिमांशू गुप्ता (JAGRAV ADITYA GUPTA S/o HIMANSHU GUPTA) है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या– 3954 1471 9104 में उसका नाम रेयांश गुप्ता (REYANSH GUPTA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे पुत्र को उसके सही नाम जाग्रव आदित्य गुप्ता पुत्र हिमांशू गुप्ता (JAGRAV ADITYA GUPTA S/o HIMANSHU GUPTA) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हिमांशू गुप्ता,
पता–133/20, ओ ब्लॉक,
एम0जी0 कॉलोनी किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के पिता का सही नाम राजेश कुमार यादव है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 23138955/2024) में मेरे पुत्र के पिता का नाम राजेश यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राधिका देवी,
पत्नी राजेश कुमार यादव,
भिऊरा, दुबौलिया, बस्ती।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनुश्री गुप्ता (ANUSHRI GUPTA) पुत्री श्याम गुप्ता है जो उसके जन्म प्रमाण में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–3832 4395 1554, में उसका नाम अनुश्री (ANUSHREE) हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनुश्री गुप्ता (ANUSHRI GUPTA) पुत्री श्याम गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।

श्याम गुप्ता,
पता–वार्ड नं0–07, 654 सोमनाथ मन्दिर,
देवरिया उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम फाथुम्मा पत्नी मो0 जमा है जो मेरे मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, मेरे पति के सेवा अभिलेखों में तथा उपजिलाधिकरी बारा द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–8339 2386 9482 में मेरा नाम फातमा बीबी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम फाथुम्मा पत्नी मो जमा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

फाथुम्मा पत्नी मो0 जमा,
निवासिनी–ढोढनपुर, पोस्ट–सिंहपुर,
थाना मोहनगंज, तहसील तिलोई,
जिला अमेठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कनकलता पुत्री छोटे लाल है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरा आधार कार्ड–8106 9670 6871 में कंचन सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कनकलता पुत्री छोटे लाल पत्नी प्रमोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कनकलता
पत्नी प्रमोद कुमार सिंह,
पता–ग्राम चन्दापुर मोरहू,
पो0 मलाक हरहर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आरती देवी पत्नी वेद प्रकाश मिश्र है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक अभिलेख व प्रधान द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–6585 5194 4993 में मेरा नाम भारती देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आरती देवी,
पत्नी वेद प्रकाश मिश्र,
ग्राम–मुकुन्दीपुर, पो0–शाहपुर,
थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 एटा फर्टीलाइजर, 1 एटा फर्टीलाइजर, पोस्ट ऑफिस रोड, सिविल लाइन्स, एटा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री पंकज गुप्ता, श्री पवन कुमार गुप्ता, श्री अवधेश कुमार गुप्ता निवासीगण जिला एटा हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 30 सितम्बर, 2006 को संचालन की थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री पवन कुमार गुप्ता निवासी 45 पोस्ट ऑफिस रोड, कमला नगर, एटा फर्म में साझेदार हो गई हैं एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से श्री पंकज गुप्ता, श्री अवधेश कुमार गुप्ता, फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म को श्री पवन कुमार गुप्ता, श्रीमती सुनीता गुप्ता हम दोनो साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

पवन कुमार गुप्ता,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सहारा हैचरी एण्ड ब्रिडिंग फार्म, निकट सीमली गेट, शामली बायपास रोड़, ग्राम मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर का पंजीकरण क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक, फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर के यहां से दिनांक 02 मार्च, 2019 को हुआ था। रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में 01. मौ0 अरिफ पुत्र मकबूल अहमद निवासी कुंगर पट्टी, ग्राम सुजडु जिला मुजफ्फरनगर 02. संजय महेश्वरी पुत्र घासीराम निवासी 40–साउथ भोपा रोड न्यू मण्डी, मुजफ्फरनगर, 03. मांगेराम पुत्र बलजीत निवासी मं0 नं0 537 ग्राम शेर नगर मुजफ्फरनगर, 04. अनुज कुमार महेश्वरी पुत्र घासीराम निवासी 40–साउथ भोपा रोड़ न्यू मण्डी मुजफ्फरनगर भागीदार थे। दिनांक 31 मार्च, 2025 की पार्टनरशीप डीड के अनुसार फर्म में भागीदार 01. संजय महेश्वरी पुत्र घासीराम 02. मांगेराम पुत्र बलजीत 03. अनुज कुमार महेश्वरी पुत्र घासीराम अपने अपने हिस्से की धनराशि लेकर फर्म से रिटायर हो गये और दिनांक 31 मार्च, 2025 को ही फर्म में नौशाद अली चौहान पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी 157 के0 मिमलाना जिला मुजफ्फरनगर अपने हिस्से की धनराशि देकर फर्म में भागीदार बन गये है। अब वर्तमान में 01. मौ0 आरिफ पुत्र मकबूल 02. नौशाद अली चौहान पुत्र मुस्ताक अहमद भागीदार है।

मौ0 आरिफ,
भागीदार,
मेसर्स सहारा हैचरी एण्ड ब्रिडिंग फार्म,
निकट सीमली गेट, शामली बायपास रोड़,
ग्राम मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर।

सूचना

मैं अमरेंद्र कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद सिंह, पताः 1458 किदवई नगर, बाघंबरी मठ, अल्लापुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211006 का स्थायी निवासी है। मेरे पुत्र का सही नाम KUNWAR AADWIK S/o AMRENDRA KUMAR SINGH है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। जबकि त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–7585 6258 9993 में उसका नाम ADVIK अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम KUNWAR AADWIK S/o AMRENDRA KUMAR SINGH के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अमरेन्द्र कुमार सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम श्रेयांस राज जायसवाल पुत्र आशीष जायसवाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित हे। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–5605 7829 7738 में उसका नाम चिराग राज जायसवाल अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम श्रेयांस जायसवाल पुत्र आशीष जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

आशीष जायसवाल,
पता– 2/4 मालवीय नगर,
ऐशबाग लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राघवेन्द्र प्रताप है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–9028 0918 8186 में उसका नाम राघवेन्द्र प्रताप यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राघवेन्द्र प्रताप पुत्र कृष्णानन्द यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कृष्णानन्द यादव
पुत्र स्व0 लालसा प्रसाद यादव,
ग्राम हरियापार, पो0 मुसहरी,
जिला देवरिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता एवं पिता जी का सही नाम क्रमशः सिलमा सिंह (SILAMA SINGH) तथा अविनाश कुवॅर सिंह (AVINASH KUNWAR SINGH) जो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं हाई स्कूल अंक पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल अंकपत्र अनुक्रमांक 5037504 सन 2015 में माता तथा पिता का नाम क्रमशः सीमा सिंह (SEEMA SINGH) एवं (AVINASH KUNWAR SINGH) जो कि गलत अंकित हो गया है तथा इण्टर मिडियेट के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अनुक्रमांक–5641750 सन 2017 में माता का नाम (SEEMA SINGH) सीमा सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

योगिता सिंह (YOGITA SINGH),
बी–61 वैदेही नगर कालोनी,
साहबगंज अयोध्या।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अश्वी सिंह (Ashwi Singh) पुत्री बृजेश सिंह (Brijesh Singh) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–5767 0245 2452 में उसका नाम वामिका यादव

(Vamika Yadav) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अश्वी सिंह Ashwi Singh) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बृजेश सिंह,
पुत्र वीर बहादुर सिंह,
निवासी–570/772, गोपालपुरी,
आलमबाग, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम दुर्गा देवी (DURGA DEVI) है जो उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक–23252243 में मेरी माता का नाम दुर्गा द्विवेदी (DURGA DWIVEDI) अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिवानी द्विवेदी,
पता–278, चौखंडी, कीडगंज,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पलक गिरी पुत्री संजीव गिरी है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–6601 8066 8519 में उसका नाम प्रतिका गिरी अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम पलक गिरी पुत्री संजीव गिरी के नाम से जाना, व पहचाना जाय।

संजीव गिरी,
पुत्र स्व0 राजा राम गिरी,
निवासी– 280/252 ब्लण्ट स्कवायर,
दुर्गापुरी, आलमबाग, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अज्ञेया पाण्डेय पुत्री राकेश मोहन पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–5880 7991 6317 में उसका नाम सुदिक्षा पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अज्ञेया पाण्डेय पुत्री राकेश मोहन पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राकेश मोहन पाण्डेय,
26, चक हरिहरवन छतनाग रोड झूंसी,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनाया गुप्ता पुत्री–सुधीर कुमार है। जो इसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0– 4589 2212 6155 में उसका नाम अनन्या गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य मेर मेरे पुत्री को उसके सही नाम अनाया गुप्ता पुत्री सुधीर कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुधीर कुमार,
पता–101/80बी, पुरा फतेह मोहम्मद,
नैनी प्रयगाराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शुभांग श्राविल पुत्र दिवाकर मिश्र है, जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–9679 7605 9135 में उसका नाम

शुभ अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को शुभांग श्राविल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दिवाकर मिश्र,
65, एम0आई0जी0स्टेनली रोड़,
ए0डी0ए0 कालोनी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी सही नाम विमला देवी पत्नी रामकरन सिंह यादव है जो मेरे पति के सेवा सम्बन्धित अभिलेखों बैंक पासबुक तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–6781 5720 4778 में मेरा नाम बदामी देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विमला देवी पत्नी रामकरन सिंह यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विमला देवी,
पत्नी रामकरन सिंह यादव,
पता–ग्राम बेलहरी, पोस्ट बेलहरी,
तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वेदांश पाण्डेय पुत्र पूर्ण प्रकाश पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–2268 1476 0381 में उसका नाम अंश पाण्डेय अंकित हो गया हैं जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वेदांश पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एततद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पूर्ण प्रकाश पाण्डेय,
615/473/ए गायत्री नगर,
नौबस्ता खुर्द, मडियांव, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कुंवर अनंत केसरवानी पुत्र तिलक चन्द केसरवानी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8771 4009 7665 में उसका नाम वेद अंकित हो गया है जो घरेलू है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कुंवर अनन्त केसरवानी पुत्र तिलक चन्द केसरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

तिलक चन्द केसरवानी,
पता–22/19, मुठ्ठीगंज,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री वी0ए0पी0 इंफ्राटेक, पता–एस–3/17 ग्रेटर ग्रीन पार्क, बीसलपुर रोड बरेली उत्तर प्रदेश 243006 जिसकी पंजीकरण सं0– BAR/0010805 (रजि0 दिनांक 21 दिसम्बर, 2021) है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 08 मार्च, 2021 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उक्त फर्म के सभी साझेदारों की सहमति से पता– परिवर्तन करना चाहते है। उक्त फर्म का नया पता दिनांक 28 जनवरी, 2025 से खेत नं0 639, गोपालपुर, नगरिया अनूप बरेली उ0प्र0 243123 कर लिया गया है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान कुल दो साझेदार क्रमशः 1. श्री जावेद अली खान 2. श्री पीयूष मित्तल है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जावेद अली खान,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 भगवती इलैक्ट्रीकल्स, 160 प्रतापपुरा आगरा 282001 उपरोक्त फर्म में श्री अमित पोद्दार पुत्र श्री अशोक कुमार पोद्दार, श्रीमती लतिका पोद्दार पत्नी श्री अभिषेक कुमार पोद्दार, श्री प्रभव पोद्दार पुत्र श्री अभिषेक कुमार पोद्दार सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 22 नवम्बर, 2018 को संचालन की थी दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से श्री अभिषेक कुमार पोद्दार पुत्र श्री अशोक कुमार पोद्दार नये साझेदार के रूप में शामिल हो गये है दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से श्रीमती लतिका पोद्दार पत्नी श्री अभिषेक कुमार पोद्दार, श्री प्रभव पोद्दार पुत्र श्री अभिषेक कुमार पोद्दार अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया है अब फर्म को श्री अभिषेक कुमार पोद्दार, अमित पोद्दार संचालित करेंगे।

अमित पोद्दार,
साझेदार।

सूचना

फर्म मेसर्स–अंशी इण्टरप्राइजेज, कानपुर नगर में दिनांक 11 मार्च, 2025 को श्री सिद्धार्थ मिश्रा पुत्र श्री राजीव कुमार मिश्रा नि0 128/15 ब्लाक–वाई, किदवई नगर, कानपुर नगर एवं श्रीमती वैशाली मिश्रा पत्नी श्री राजीव कुमार मिश्रा निवासी 128/15 ब्लाक वाई किदवई नगर, कानपुर नगर स्वयं अपनी इच्छा से हट गये है तथा श्री समर मिश्रा पुत्र श्री रामेन्द्र नि0 ग्राम मानपुर, शिवराजपुर, कानपुर नगर सम्मिलित हो गये है तथा दिनांक 11 मार्च, 2025 से श्रीमती अनुष्का मिश्रा पत्नी श्री सिद्धार्थ मिश्रा नि0 128/15, ब्लाक–वाई किदवई नगर, कानपुर नगर एवं श्री समर मिश्रा पुत्र श्री रामेन्द्र नि0 ग्राम मानपुर, शिवराजपुर, कानपुर नगर पार्टनर है तथा फर्म का पता जी0टी0रोड, शिवराजपुर, कानपुर नगर के स्थान पर ग्राम व पोस्ट संभलपुर, कानपुर दिनांक 11 मार्च, 2025 को किया गया है।

श्रीमती अनुष्का मिश्रा,
पार्टनर,
मेसर्स–अंशी इण्टरप्राइजेज,
ग्राम व पो0 संभलपुर कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कार्तिकेय एसोसिएट्स पता 06 कमला नगर बागपत रोड जिला मेरठ उत्तर प्रदेश की पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को हुई थी। जिसके अनुसार फर्म में पहले चार साझीदार थे 01. विवेक कुमार पुत्र स्व0 मोती राम अग्रवाल 02. श्रीमती मधु रानी गुप्ता पत्नी श्री विवेक कुमार 03. श्री कार्तिकेय अग्रवाल पुत्र श्री विवेक कुमार 04. श्रीमती सारिका जैन पत्नी श्री मनीष कुमार जैन थे। संशेधित साझीदारीनामा डीड के अनुसार दिनांक 01 फरवरी, 2025 को फर्म में नये साझीदार 05. श्री मनोज गोयल पुत्र श्री महेश चंद गोयल साझेदार हो गये है। तथा अब इस फर्म में क्रमशः पॉच साझेदार हो गये है। 01. विवेक कुमार पुत्र स्व0 मोती राम अग्रवाल 02. श्रीमती मधु रानी गुप्ता पत्नी श्री विवेक कुमार 03. श्री कार्तिकेय अग्रवाल पुत्र श्री विवेक कुमार 04. श्रीमती सारिका जैन पत्नी श्री मनीष कुमार जैन 05. श्री मनोज गोयल पुत्र श्री महेश चंद गोयल साझेदार हो गये है।

विवेक कुमार,
साझेदार।

सूचना

फर्म मेसर्स बरसाना प्रापर्टीज, 84/54, जरीब चौकी क्रासिंग जी0 टी0 रोड, कानपुर नगर में दिनांक 01 नवम्बर, 2024 को श्री वृन्दावन बिहारी लाल अग्रवाल पुत्र स्व0 धरम चन्द्र अग्रवाल नि0 7/114(1), स्वरूप नगर, कानपुर नगर रिटायर्ड हो गये है तथा श्री राधा कृष्णा अग्रवाल पुत्र स्व0 जीवन लाल अग्रवाल नि0 7/114(1), स्वरूप नगर, कानपुर नगर सम्मिलित हो गये है तथा दिनांक 01 नवम्बर, 2024 से फर्म में श्री संगम अग्रवाल

पुत्र श्री राधा कृष्ण अग्रवाल नि0 7/114(1), स्वरूप नगर, कानपुर नगर एवं श्री राधा कृष्णा अग्रवाल पुत्र स्व0 जीवन लाल अग्रवाल नि0 7/114(1), स्वरूप नगर, कानपुर नगर पार्टनर है।

संगम अग्रवाल,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स बरसाना प्रापर्टीज,
84/54, जरीब चौकी क्रासिंग,
जी0 टी0 रोड, कानपुर नगर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''फार्म एसोसियेट'', ग्राम मौहम्मद अमीखानपुर, पो0 बिजौरी, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 23 नवम्बर, 2021 को श्री बदन पाल सिंह राणा व दिनांक 19 मार्च, 2025 को श्री सर्वजीत सिंह की मृत्यु हो गयी हैं तथा दिनांक 25 अप्रैल, 2025 को श्री संजय राणा व श्री गुरमीत सिंह सैनी शामिल हो गये है तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर श्री साहब सिंह, श्री विनोद खन्ना, श्री संजय राणा व श्री गुरमीत सिंह सैनी हो गये है।

साहब सिंह,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स ''फार्म एसोसियेट'',
ग्राम मौहम्मद अमीखानपुर, पो0 बिजौरी,
तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स विजन एसोसियेट पता–41/87, कानूनगोयान, निकट पुलिस चौकी, भूड, बरेली–243005 जिसकी पंजीकरण सं0–BAR/0014997 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 से निरन्तर सूचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से एक साझेदार श्री राजीव सक्सेना पुत्र श्री हरीश चन्द्र सक्सेना दिनांक 05 अगस्त, 2024 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये है, सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई बकाया शेष नही है। उपरोक्त फर्म में दिनांक 14 अगस्त, 2024 को एक नया साझेदार श्री अजय अग्रवाल पुत्र श्री द्वारिकाधीश अग्रवाल को पूर्व साझेदारों की सहमति से व स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे है। उपरोक्त फर्म से साझेदार श्री अजय अग्रवाल पुत्र श्री द्वरिकाधीश अग्रवाल दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये है, सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई बकाया शेष नही है। उपरोक्त फर्म में दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को एक नये साझेदार श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिव दर्शन शर्मा का पूर्व साझेदारों की सहमति से व स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल तीन साझेदार क्रमशः 01. श्री सुरेन्द्र कुमार 02. नील कमल सक्सेना 03. अरविन्द कुमार है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नील कमल सक्सेना,
साझेदार,
फर्म मेसर्स विजन एसोसियेट,
पता–41/87, कानूनगोयान,
निकट पुलिस चौकी, भूड, बरेली।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 राधे कृष्णा कोल्ड स्टोरेज, ग्राम भानपुरा, राजाखेडा रोड, शमशाबाद, आगरा–283125 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है।

दिनांक 25 जुलाई, 2024 से श्री चिराग शर्मा पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा निवासी –गोपालपुरा शमशाबाद, आगरा नये भागीदार के रूप में सम्मिलित किये गये है तथा फर्म के पूर्व भागीदार श्री महेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा निवासी–57, गोपालपुरा, शमशाबाद, आगरा उक्त फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये है। अब फर्म में श्री विष्णु स्वरूप शर्मा व श्री चिराग शर्मा भागीदार हो गये है।

विष्णू स्वरूप शर्मा,
भागीदार,
मे0 राधे कृष्णा कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम भानपुरा, राजाखेडा रोड,
शमशाबाद, आगरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 मीराज आयरन फाउण्ड्री, सी–26 फाउण्ड्री नगर, आगरा–282006 के विघटन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि उपरोक्त साझेदारी फर्म दोनों साझेदारों राजेश अग्रवाल पुत्र श्री महेशचन्द्र अग्रवाल निवासी–बी–23 कमला नगर, आगरा प्रथम पक्ष तथा श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री आर0के0गुप्ता0 निवासी–8 एल0आई0सी0 कॉलोनी, गैलाना रोड, आगरा द्वितीय पक्ष के द्वारा संचालित की जा रही थी किन्तु अपरिहार्य कारणवश व्यवसाय के संचालित न होने के कारण दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को दोनों भागीदारों की आपसी सहमति से भागीदारी फर्म विघटित कर दी गई है।

राजेश अग्रवाल,
साझेदार,
मे0 मीराज आयरन फाउण्ड्री,
सी–26 फाउण्ड्री नगर, आगरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदार फर्म मे0 जी0आर0सी0 इन्फ्राटैक, शॉप नं0–ए/एफ–8 ब्लॉक नं0–41/4–ए फर्स्ट फ्लोर, फ्रैण्ड्स टावर, संजय पैलेस, आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है।

यह कि दिनांक –01 अप्रैल, 2025 को श्री विश्वजीत सिंह पुत्र श्री रामनारायन निवासी–एफ–2 राम रघु एक्जोटिका, नीयर टीवी टावर, शमासाबाद रोड, आगरा को फर्म में सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री आलोक गर्ग, श्री यश जैन तथा श्री विश्वजीत सिंह साझेदार है।

आलोक गर्ग,
साझेदार,
मे0 जी0आर0सी0 इन्फ्राटैक,
शॉप नं0–ए/एफ–8 ब्लॉक नं0–41/4–ए
फर्स्ट फ्लोर, फ्रैण्ड्स टावर,
संजय पैलेस, आगरा।

NOTICE

This is inform the general Public that the Correct name of my Son is Raj Sonkar, S/o Krishna Kumar Sonkar as recorded in his educational documents, Due to a mentioned an error, his name as Brijbhan Sonkar in his Aadhaar Card 9427 6011 3425, which is incorrect. In the future my Son Should be known and recognized by his correct name Raj Sonkar S/o Krishna Kumar Sonkar. It is also proved by above mentioned relationship has been completed by all the legal formalities by me.

Krishna Kumar Sonkar,
Nadini, Nadini, Mirzapur.

पी0एस0यू0पी0–5 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।